[Shri G. C. Bhattacharya]
and obtaining public information for the citizen and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1979

(To amend articles 58 and 157)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We now take up Bills for consideration and passing. The Constitution (Amendment) Bill, 1979 (to amend articles 58 and 157). Shri Shiva Chandra Jha to move.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

उपसभापति महोदय, यह मेरा संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति और गवर्नर की उम्र कम से कम 35 साल रखने की बात है।

उसको मैं अपने संशोधन विधेयक द्वारा 30 साल करना चाहता हूं। न्यूनतम 35 साल की उम्र जो भारत के राष्ट्रपति होने के लिए नियत की गई है, गवर्नर होने के लिए नियत की गई है उसको मैं 30 साल करना चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं :

"In article 58 of the Constitution, in sub-clause (b) of clause (1), for the word "thirty-five", the word "thirty" shall be substituted".

"In article 157 of the Constitution, for the word 'thirty-five", the word "thirty' shall be substituted".

मैंने अपने एम एंड आब्जेक्ट्स में बताया है कि :-

"The time demands that the youth of India should be given more opportunities to shoulder the highest responsibilities of the State. As the demand of the youth is to lower the voting age limit to eighteen years (from the present twenty-one), so also the doors of Indian Presidency and Governorship of a State should be thrown open to the youth by lowering the minimum age limit to thirty years from the present limit of thirty-five years".

इसलिए भी यह उचित है कि राष्ट्रपति होने के लिए उम्र कम की जाय क्योंकि देश में नौजवानों की मांग है कि वोट देने की उम्र जो अभी 21 साल है उसको 18 साल कर दिया जाए। अभी तक यह बात नहीं हुई है। लेकिन यह आम मांग है और इस मांग के आधार पर यह भी तकाजा है कि राष्ट्रपति और गवर्नर की उम्र 35 साल से घटाकर 30 साल की जाय ताकि नौजवानों को जिम्मेदारी लेने का मौका मिले, शासन और देश को चलाने का मौका मिले। अब सवाल आता है उपसभापति महोदय कि 35 साल से 30 साल क्यों किया जाए। तो इसका जवाब है कि 35 साल ही क्यों किया गया, संविधान में 35 साल की उम्र क्यों नियत की गई? क्यों नहीं 50 साल, 60 साल और 70 साल की उम्र रखी गई। अगर सरकार कहती है कि 35 साल से 30 साल क्यों कर दिया जाय तो मेरा जवाब है कि 35 साल की ही उम्र संविधान में क्यों रखी गई, यह फैसला क्यों किया गया है इसको 60-65 साल क्यों नहीं किया गया? उपसभापति महोदय, संविधान को लागू होने के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी उम्र पर आप जरा गौर करें? कितने उम्र के बने रहे हैं। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने शपथ ली 6 मई 1952 को तो उनकी उम्र 68 वर्ष थी। उसके बाद डाक्टर राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति हुए। जब उन्होंने शपथ ली 12 मई 1962

को तो उनकी उम्र 75 साल थी । तीसरे राष्ट्रपति डाक्टर जाकिर हुसैन जब उन्होंने शपथ ली, 13 मई, 1967 को तो उनकी उम्र 70 वर्ष थी । उसके बाद वी० वी० गिरी हमारे राष्ट्रपति हुए । जब उन्होंने शपथ ली 24-8-69 को तो उनकी उम्र 75 साल थी । उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हुए श्री फखरूद्दीन अली अहमद जब 24-8-74 को उन्होंने शपथ ली तो उनकी उम्र 69 थी । श्री नीलम संजीव रैड्डी जिन्होंने जब 25-7-77 को शपथ ली तो उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी और मौजूदा राष्ट्रपति जैलसिंह ने जब शपथ ली, 25-7-82 को तो उस वक्त उनकी उम्र 66 वर्ष की थी । कोई भी भारत का राष्ट्रपति अभी तक 60 साल से नीचे नहीं हुआ है, 60 साल के ऊपर का ही हुआ है । इनमें सबसे यंग नीलम संजीव रेड्डी हुए, जनता काल में और उस वक्त भी उनकी उम्र 64 साल की थी । . . . . (व्यवधान) . . .

संसदीय-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : यह आपको सूट करता है ।

श्री हरेकृष्ण मल्लिक (उड़ीसा) : आपको ध्यान में रख कर बातचीत की जा रही है ।

श्री शिव चन्द्र झा : मुझे डिस्टर्ब मत करिये । उनकी उम्र भी 64 साल की थी । तो अब यह सवाल आता है यहां पर कि संविधान में आपने 35 वर्ष क्यों रखा ? आज तक सात राष्ट्रपति हुए हैं जो 62 वर्ष वाले या उसके ऊपर की उम्र के हुए हैं । तो यह क्यों रखा गया ? 35 साल की उम्र क्यों रखी गई ? क्यों संविधान सभा ने फैसला किया कि इतनी उम्र होगी जब कि व्यवहारिकता और जो डवलपमेंट्स हुए हैं देखते हैं कि 60 से नीचे का कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है और न इसकी सम्भावना है । इसलिए मैं चाहता हूं कि 30 साल होनी चाहिये । जब यह सवाल उठता है तो जवाब यहां पर होता है कि क्या संविधान सभा के लोग समझदार नहीं थे । उनको दुनिया का पता नहीं था । क्यों उन्होंने 35 साल की उम्र रखी मिनिमम । इसको भी हम यदि खोज लेते हैं तो इसकी तफसील में जा कर के इसके पीछे जो दर्शन है उसके पीछे जाते हैं तो हम सफल हो जायेंगे । आज के जमाने में युवकों का तकाजा है कि उसके अनुकूल यह उम्र घटानी चाहिये । हो सकता है सम्भावना कम हो, नहीं हो लेकिन हम नौजवानों के लिए फाटक खोलेंगे कि भारत का राष्ट्रपति 30 साल की उम्र में अपने पद पर आ सकता है । 30 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति हो सकता है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मिनिमम हम यह उम्र रखें लेकिन इसके पीछे एक बड़ा दर्शन है । अमरीका में जो उस वक्त उम्रें थीं राष्ट्रपति की उन को देख कर के फैसला किया गया । मेरे पास संविधान सभा के डिबेट्स हैं उनको पढ़ कर मैं समय नहीं लेना चाहता हूं । अमरीका में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम उम्र 35 साल की है । आयरलैंड में भी 35 साल, बुंडेस्टेग के लिए वेस्ट जर्मनी में 40 साल और फ्रेंच रिपब्लिक में ऐनीबोडी । लेकिन जो बात उस वक्त दुनिया में थी जो सामने आती है कि 35 साल का फैसला किया गया, वह इसलिए कि इस उम्र में परिपक्वता, मेंटल मेचोरिटी आ जाती है । मोटे तौर पर भारत में यह समझा जाता है कि 35 साल की उम्र में आदमी परिपक्व हो जाता है और उसमें क्षमता होती है जिससे वह राष्ट्रपति का शासन चला सके । इसके पीछे दर्शन यही है । जब हम अपना

[श्री शिवचन्द्र झा]

इतिहास देखते हैं तो इसकी पुष्टि होती है । लेकिन इससे नीचे की उम्र की भी हमारे इतिहास से पुष्टि होती है । हमारी परम्परा में शायद आप कंटेस्ट जानते हैं, संस्कृति का एक श्लोक है जिसका आशय है कि पांच साल की उम्र मेरी है । इसका कंटेस्ट मुझे याद नहीं है । मेरे पास सब ज्ञान है । यह हमारी परम्परा है, यह हमारा इतिहास है । उसके बाद हमारे भारतीय समाज में 16 साल की उम्र को उपयुक्त समझा जाता है । षोढ़श वर्ष....16 वर्ष के लड़कों को दोस्त के समान समझो । 16 वर्ष का लड़का दोस्त के बराबर होता है । यह हमारा दृष्टिकोण रहा है । वीर अभिमन्यु की उम्र 16 साल की थी तब उसके पास ज्ञान था । अभिमन्यु को ज्ञान था । महारथियों के व्यूह को तोड़ दें, उनको चैलेंज दिया गया था 16 साल की उम्र में । वीर अभिमन्यु आगे बढ़ता है और शहीद होता है लेकिन वह महारथियों के व्यूह को तोड़ता है । वह अपने आप को परिपक्व समझता है । यह हमारे इतिहास में है कि इस उम्र में भी उसको परिपक्व माना जाता है। उदाहरण बिल्कुल साफ हैं । उससे आगे आइये, शंकराचार्य जी । आप जानते हैं कि केरल, कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर, मिथिला तक भारतीय दर्शन, वेदान्त दर्शन की जो पताका है, इन्होंने चारों कोनों में भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के खूंटे गाड़े, जो कि आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। कितने साल की उम्र में कमेंटरी लिखी थी उपनिषद् पर ? उनकी 18 कमेंटरी हैं । उन्होंने कितने साल की उम्र में लिखी ? ज्योतिर्मठ में, उसी एक शहतूत के पेड़ के नीचे उन्होंने उपनिषद् पर 18 कमेंटरीज लिखी । उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी । वे गुजरे 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी, वे सन्यासी 32 साल की उम्र में गुजरे लेकिन उन्होंने अपनी कीर्ति और अपने योगदान की चरम सीमा 30 साल की उम्र में दी । यह बात है । जो दर्शन हमारे सामने है, जिसको लेकर अभी भी हम बाहर जाते हैं तो परिपक्वता की जब बात हमारे समाज में आती है, मानसिक मैच्योरिटी की, मेंटल मैच्योरिटी की, तो हमारी परम्परा में 30 साल की बात आ जाती है। उसके बाद आप चले स्वामी विवेकानन्द पर । उनकी क्या उम्र थी जब शिकागो की कान्फ्रेंस में उन्होंने अपना सिंहनाद किया था भारत के दर्शन के लिये । जज साहब, मित्रा जी मैं आप से भी पूंछता हूं, कितनी उम्र थी स्वामी विवेकानन्द जी की जिन्होंने सारी दुनिया में लोहा लिया, भारतीय दर्शन के झंडे को उठाने के लिये ? करीब-करीब 30 साल की उम्र थी या 31 की क्योंकि उनका देहांत हुआ था 39 साल की उम्र में, 1902 या तीन में । 1893 में शिकागो में कान्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड रिलीजन की । तो 30 स में परिपक्व थे, विश्व मंच भारत के दर्शन के लिये सिंहनाद किया था । साफ है कि 30 साल की उम्र, मैच्योरिटी की सीमा दिमागी तौर पर समझी जाती है । उससे आगे आइये मार्क्स पर । कम्युनिस्ट मैनीफैस्टो, सबसे पहले 1848 में वह किताब लिखी गयी जिससे कि आज सारी दुनिया एक तूफान के दौरान से गुजर रही है । 30 साल की उम्र में लिखा । एंजिल्स की उम्र 28 साल थी, नौजवान था । तो हिंदुस्तान या हिन्दुस्तान के बाहर मोटे तौर पर 30 साल की उम्र में परिपक्वता समझी जाती है, और भी बहुत से उदाहरण हैं हिंदुस्तान के बाहर भी

थामस जेफरसन, जिन्होंने अमेरिकी आजादी का घोषणा पत्र लिखा—

In the course of human history the people have the right either to set up or abolish the government.

आम जनता को अधिकार है कि वह अपनी सरकार, जो गड़बड़ करती है, उसको चाहे बदल दे, चाहे उखाड़ फैंके। जो अमरीकी समाज में शीशे में लगाकर घर में रखते हैं "डिक्लरेशन आफ इंडिपेंडेंस, 1776, 4 जुलाई का, तब ही वाज इन थर्टीज, 33—34 साल की उम्र थी, तब घोषणा पत्र लिखा था। उससे और आगे आइये, कुछ बाहर के उदाहरण पहले देता हूं। मार्क्स दिलाफर ? फ्रांस का नौजवान था जिसने जार्ज वाशिंगटन के साथ मिल कर अंग्रेज साम्राज्यवादियों के खिलाफ तलवार खींची थी और जिसकी पूजा आज हर अमरीकी घर में होती है, जिसने अमरीकी क्रांति में मदद पहुंचाई थी फ्रांस से, जो जार्ज वाशिंगटन के साथ बगल में घोड़े पर चलता था, रिवाल्यूशनरी वार के समय, युद्ध करने में, वह 19 साल का था। उसकी उम्र 19 साल की थी। उससे आगे आइये बैस्तील के किले पर जब फ्रांस की जनता ने हमला किया...। लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया। मानव समाज के इतहास में एक नये चैपटर की शुरुआत हुई। दि ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन, कुछ वजहों से वह अपनी लाइन से बेलाईन क्रांति हुई और उसके बाद बागडोर जो आई वह लिटल कारपोरल, वह फौजी आदमी हो गया—वह जैकोबीन था। वह फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वैलिटी और फ्रैटर्निटी का सिपाही था नौजवान। यह वही नौजवान जो उठ रहा था, जिसने लूई XVI को गिरफ्तार किया और उसे गिलोटिन पर चढ़ाया। जब बाद में कमांड की बागडोर उसके हाथ में आती है और सारे यूरोप में तहलका मचा देता है, लिटल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट—उसकी उम्र 21 साल की थी।

उसके सामने जब कहा जाता था कि आप तो बहुत यंग एज में में हो गये जनरल तो वह कहता था कि नहीं "मैं तो बहुत देर से हुआ हू।" लफायल बहुत अर्ली हुआ था। उसके सामने भी उदाहरण आया—लफायल था। तो वह 21 साल का था।

अमरीकी क्रांति के बारे मे मैंने कहा सारे कालोनियल न्यूयार्क में को धू-धू जलाने वाला वह क्रांति का सिपाही नाथेल हेल अकेले जिसने सारे न्यूयार्क को फूक दिया। एक्चुअली उसने नहीं—वाज अंग्रेजों ने उसी पर लगाया चूंकि वह एक यार्ड में छिपा हुआ था उसको पकड़ा और कहा कि तुमने ही न्यूयार्क में आग लगाई है—वही नाथल हेल जिसको कि आज अमरीकी समाज में पूजा होती है ग्रेट पेट्रियाट।

अंग्रेजों ने उसको फांसी दी। वह भी बिलो 30 था। तो हम देखते हैं कि चाहे दिमागी तौर पर हो चाहे सामरिक तौर पर हो 30 साल की उम्र काफी है मेच्योरिटी के लिए।

अब हिंदुस्तान में फिर आ जाइये बाहर से घूम करके। कहां से मैं शुरू करूं—विष्णु फडके महाराष्ट्र का वह नौजवान 17 वर्ष की उम्र में वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लोहा ले सकता है, देश की आजादी के लिए लड़ सकता है और हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ सकता है—क्या ऐसा नौजवान राष्ट्रपति की बागडोर नहीं ले सकता है।

[श्री शिव चन्द्र झा]

मरने के वक्त में, आजादी के लिये वह देश के लिये जिम्मेदार हो सकता है, हम उसकी पूजा कर सकते हैं, जो करते हैं, क्या वह राष्ट्रपति की बागडोर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है ? ले सकता है।

खुदी राम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 में जब वह कलकत्ता में बंदे मातरम गाता था, नारा देता था, तो उसको पकड़ करके नंगा करके बेंत से मारते थे वह मेजिस्ट्रेट और तब तक मारते थे जब तक कि वह लड़का बेहोश न हो जाए। उसके बदले के लिये गये खुदी राम बोस कलकत्ते से चले--कलकत्ता से जिला मुजफ्फरपुर क्यों कि उसको ट्रांसफर हो गया, वह कहानी आप जानते हैं। फांसी के तख्ते पर चढ़ गया खुदी राम बोस। प्रफुल्ल चाकी मोकामा में मारा गया। तो आपकी आजादी के लिये, देश की आजादी के लिये वह मर सकता है, उसकी जिम्मेदारी वह ले सकता है, हम उसकी मान्यता दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन कम उम्र वाला क्या हमारे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है ? जरूर ले सकता है। यह सोचने की बात है। 1908 की बात है, खुदी राम बोस जिसकी तारीफ जिसका समर्थन लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने "मराठा" और "केसरी" में किया है, जिससे कि एक फिजां बदली देश में नौजवानों में और आंदोलन आगे बढ़ाया।

काकोरी काण्ड--यह काकोरी लखनऊ के बगल में है जहां दो दिन पहले प्रधान मंत्री जी वहां गई थीं, वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने--काकोरी केस में नौजवानों ने ट्रेन को होल्ड-अप किया था क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी ताकि उनसे उनको हथियार मिल सके और हथियार की बदौलत देश को आजाद करा सकें। वह मरने की जिम्मेवारी ले सकते थे। हम उनको सलाम दे सकते हैं, उनका स्मारक बना सकते हैं, वह हमारे पूज्य हो सकते हैं लेकिन और उसी उम्र के, तीस वर्ष के राष्ट्रपति होना चाहें तो नहीं हो सकते। यह सोचने की बात है। शहीदे आजम भगत सिंह की क्या उम्र थी जब भगत सिंह 31 में फांसी पर चढ़े थे ? 23 साल, जब लाला लाजपत राय पर लाहौर में सैंडर्स ने लाठियां चलाई और वह मर गये तब बासन्ती देवी, सी० आर० दास की पत्नी उस समय पंजाब में थी, उन्होंने धिक्कारा पंजाब के नौजवानों को कि उनके नेता इस तरह मारे जायें और वह देखते रहें। तब भगत सिंह उठा है। सारी कहानी आप जानते हैं। भगत सिंह ने कहा हम बदला लेंगे सैन्डर्स से अन्धेरे में नहीं दिन के उजाले में अकेले में नहीं, सब के सामने, छिप कर नहीं, सामने-सामने और लिया। फिर उसके बाद यहीं लोक सभा में 38 नम्बर गैलरी में--मैं तो लोक सभा सेक्रेटेरिएट से चाहूंगा कि जहां से भगत सिंह ने फेंका था धमाका और यह धमाका करने के बाद उसने कहा कि ऐ हुक्मरानों, कान को खोल कर सुन लो, भारत यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, भारत जगा हुआ है सब के सब भाग गये। सिर्फ एक आदमी बैठा रहा सीट पर, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू। वह बैठे रहे और मुस्कराते रहे। सब अंग्रेज भागे, बेंच के नीचे छिप गये। भगत सिंह पकड़े गये और शहीद हुए। इन शहीदेआजम की हम पूजा करते हैं उनकी उम्र थी 23 साल। 21 साल वाला

वोट दे सकता है तो 30 साल वाला क्या हमारा राष्ट्रपति नहीं हो सकता है ? जरूर हो सकता है। यदि हम उसमें क्षमता समझते हैं कि वह कर सकता है तो हम उसको जिम्मेवारी दे सकते हैं और वह परिस्थिति के मुताबिक जिम्मेवारी को निभा सकता है।

अब आगे न जाकर तुरन्त एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। यह प्रधान मंत्री जी हैं, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में कोई समझता था कि इनकी क्षमता है प्रधान मंत्री होने की ? डा० लोहिया कहा करते थे 'डम्ब डाल' गूंगी गुड़िया। यह मानी हुई बात है कि उन दिनों में वह मुस्कराती रहती थी, कोई कमेंट नहीं करती थीं, कोई रिमार्क नहीं करती थीं। जो उन दिनों अखबार पढ़ता था राजनीति से परिचित था वह यही कनक्यूजन ड्रा करता था कि इस में कोई क्षमता नहीं, यह शासन चलाने लायक नहीं। आप भी तो यही समझते होंगे इन्दिरा गांधी को उन दिनों में। कांग्रेस की जब प्रेसिडेंट हुई '58 में तो हम लोग पटना में थे, उन दिनों में जब मैंने देखा कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो गई तब मैंने कहा कि धरातल पर उतर रहीं हैं, पंडित जी इन को धरातल पर उतार रहे हैं, संगठन में ला रहे हैं। इसके बावजूद उस समय यह राय थी कि हुकूमत नहीं चला सकतीं इसमें क्षमता नहीं है। 1949 का साल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली दफा अमेरिका गये थे, उसके पहले कभी नहीं गये थे। और दुनिया उन्होंने घूमी थी, लेकिन अमेरिका नहीं गये थे। उनका शानदार स्वागत हुआ अमेरिका में, मालूम होता था कोई बहुत बड़ा विजेता आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना स्पेशल प्लेन भेजा 'इंडिपेंडेंस' लन्दन उनको ले आने के लिये। पंडित जी उस पर अमेरिका जाते हैं। पंडित जी उस स्टेज में वहां जाते हैं और अमरीका में उनको सलामी दी, गयी और ऐसा मालूम होता था कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा विजेता, फातेह, कोई बोनापार्ट जैसे वहां आया हुआ हो। इस तरह का स्वागत उनका वहां हुआ था। वह आये सैनफ्रांसिस्को, वेस्टर्न कोस्ट पर। उनके स्वागत की तैयारी बड़ी थी। हम लोग उनके लिये सैनफ्रांसिस्को एयर पोर्ट पर गये थे। उसके बाद वे सैनफ्रांसिस्को होटल के 12 रूम सूट में ठहरे थे और फिर हम लोग उनसे मिलने गये, इसलिये कि हम लोगों को कोई काम नहीं था। सोचा कि उनसे मिल ही लेते हैं। हम लोग उनसे मिलने वहां गये और विजय लक्ष्मी जी को खबर दी गयी कि हम लोग आये हैं मिलने। पंडित जी वहां सिगरेट पीते हुये आते हैं। बाल्ड हेडेड थे। हम लोगों के बीच में एक इलाहाबाद का लड़का था। हम लोगों ने उससे कहा कि तुम पंडित जी के नियरेस्ट हो इसलिये पहले हाथ मिलाने के लिये तुम ही आगे बढ़ो। उसने अंग्रेजी में शुरू किया। पंडित जी ने कहा कि तुम क्या जवाहरलाल हो कि नाम कह दिया और हो गया। तुम यहां क्या करते हो और कहां पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, किस लिये अमरीका में आये हो, यह सब तो बताओ। तो इसके बाद बात चल गयी। उसने शुरू किया, बताया कि यह पढ़ते हैं वह वह पढ़ते हैं और हम लोगों ने हिन्दी में शुरू किया। उस समय हम लोग आकर ड्राइंग रूम में बैठ गये थे। पंडित जी सोफे पर बैठे हुये थे। पंडित जी की बगल में ही दो लड़कियां थीं। उन्होंने बताया कि वे मसानी की रिलेटिव हैं। उनको पंडित जी ने कहा कि बैठ जाओ। विजय लक्ष्मी

[श्री शिव चन्द्र झा]

कुर्सी पर बैठीं थीं । उनके बगल में मैं बैठा था और दो कुर्सियों पर और दो फार्मर्स बैठे थे और बाकी सब लोग कार्पेट पर बैठे हुये थे । इसके बाद आ जाती हैं वहां पर इंदिरा गांधी । चौखट पर खड़ी होती हैं इस लिये कि हाउस फुल है और कहीं बैठने की जगह नहीं है । पंडित जी कहते हैं कि तुम भी यहीं आ जाओ और पंडित जी थोड़ा खिसक जाते हैं और इंदिरा जी उनके पास ही बैठ जाती हैं । तब और बातें चलती हैं । 10, 15 मिनट तक तरह-तरह की बातें होती हैं और इस बीच एक कमेंट भी उन्होंने नहीं किया । इंदिरा जी ने एक रिमार्क भी नहीं दिया। चुपचाप बैठी रहीं । विजय लक्ष्मी जी ने कुछ रिमार्क्स बीच में दिये लेकिन इंदिरा जी ने कोई रिमार्क नहीं दिया तो 1949 तक हर कोई जानता था कि उनमें वह क्षमता ही नहीं थी । कामराज जी ने उनको नामिनेट किया इसलिये कि उन्होंने समझा कि उनमें परिपक्वता नहीं है बुद्धिमत्ता नहीं है, क्षमता नहीं है और न ये बागडोर अपने हाथ में ले कर संगठन को चला सकती हैं । उन्होंने इसी लिये नामिनेट किया कि वे बातों को समझती नहीं हैं और इसलिये हम जिस तरफ चाहेंगे उनको घुमा लेंगे । विजय लक्ष्मी ही समर्थ थीं, उन्होंने दुनिया देखी थी । वह हमारे काबू में नहीं रहेंगी और यह हमारे अन्डर में रहेंगी । इसी लिये इनको नामिनेट किया गया है और यह बात नहीं समझती हैं, नहीं जानती हैं और इसलिये जो जो हम कहते जायेंगे वे करती जायेंगी । लेकिन उस के बाद की कहानी आप लोग जानते हैं । जब सिंडीकेट से लड़ाई हुई और उस के बाद की जो घटनायें हैं उनसे पता चलता है कि उनमें कितनी क्षमता है । कम से कम मीसा में लोगों को बन्द करने की क्षमता तो उनमें है ही । महीने में एक आर्डिनेंस जारी करने की क्षमता तो उन में है ही । बल्कि मैं तो कहूंगा कि मीसा में जब मुझ को बन्द किया था तो मैंने एक किताब लिखी थी और वह केवल गोखले के समय तक पहुंची है, वह अभी इन्कम्पलीट है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनमें यह सारी क्षमतायें हैं । पंजाब में हाल में मार्शल ला जारी करने की क्षमता उनमें है और आसाम के मामले को यूं ही रहने देने की क्षमता भी उन में है तो यह सब बातें आप देख रहे हैं । तो कहने का मतलब यह है कि जब जिम्मेदारी आयी तो उन में पोटेंशियल था इस लिये उसको उन्होंने पेश किया और अपना काम चलाया । तो नौजवानों को आप बनाइये । प्रेसीडेंट बनाइये । आप उन को मौका दीजिये तो वह जिम्मेदारी सम्हाल लेंगे । जब देश की आजादी के लिये इतने लोग मरे और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने जान ली तो राष्ट्रपति और गवर्नर होने की क्षमता भी वे रखते हैं । भगत सिंह के बाद आगे आइये । 42 का आंदोलन किस का था ? 42 में झंडा लहराया था । शिवाजी पार्क में गांधी जी की मीटिंग हुई थी । कुईट इंडिया रेजोलूशन लिखा जाता है । सुबह होते-होते गांधी जी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं । पंडित जवाहर लाल नेहरू अपनी बहन कृष्णा हटी सिंह के यहां ठहरे हुये थे । जब उनको यह पता लगा कि पुलिस वाले आ गये और चारों तरफ से मकान घिर गया तो उन्होंने राजा हटी सिंह को कहा कि किताबें इकट्ठी करो मुझे ले जानी हैं । पंडित जी जेल में चले गये । नौजवान खड़े थे जब ये राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिये गये । गांधी जी ने कहा अब क्या करना है । कुईट इंडिया

रेजोलूशन सुबह निकला । अखबार के लोगों को बाद में समझाया गया कि इस का मतलब क्या था ? ये नौजवान थोड़े ज्यादा नौजवान थे । अच्युत पटवर्धन नौजवान भी खड़ा था । अच्युत पटवर्धन से पूछा गया कि गांधी जी ने क्या कहा । उनको उठा कर यह कहा कि गांधी जी ने यह करने के लिये कहा । बम्बई से आवाज आई---इन्कलाब जिंदाबाद, वेरी-वेरी की झंकार, मां-बहनों की यह आवाज अंग्रेजी राज का नाश हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो । यह नारा चला । मैं पटना का विद्यार्थी था । चारों तरफ यह दावानल हो रहा था । आप जानते हैं । हम लोग 9 तारीख को लाट साहब के पास जुलूस निकाल कर गये । हमारा यही नारा था । हम लोग चले आये । दूसरे दिन फिर पटना में हमला हुआ । किंगस्टन सिनेमा आपने पटना में देखा होगा । उसके सामने वाले लान के एक कोने में करीब-करीब 200 विद्यार्थी होंगे । उनमें विचार शुरू हुआ कि कल का क्या कार्यक्रम बनाया जाए । एक ने प्रस्ताव रखा कि कल सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहराया जाए । हम लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया कि कल सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहरायेंगे । दूसरे दिन, 9, 10, 11 अगस्त को 12 बजे इंजीनियरिंग साइंस कालिज, गोलगंज के पास हम इकट्ठे हुये । गोलगंज में शायद गर्ल्स हाई स्कूल है उसके सामने इकट्ठे हुए । वहां बलूचीज घुड़सवार थे । बलूचीज जब घोड़े पर बैठ कर डंडा चलाते हैं तो खून की धारा बह जाती है । आधा घंटा, बयालीस मिनट तक हम वहां रहे और वहां से सेक्रेटेरिएट चले । वहां सेक्रेटेरिएट पर जुलूस जा रहा था । यदि आप होंगे तो आपको याद होगा । नहीं, आप तो किसी और जुलूस में होंगे । बनारस में होंगे । वह जुलूस चल रहा था । फ्रेंच रेवोलूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा । पैरिस की जनता आगे बढ़ रही थी । गिरजाघर के घंटे बज रहे थे, गाने हो रहे थे, अभिनन्दन हो रहा था । पैरिस की जनता आगे बढ़ी जा रही थी । यही हालत यहां पर गोलगंज की थी । उसमें 99.99 प्रतिशत छात्र थे । उनका कदम-कदम पर अभिनन्दन हो रहा था । नारों की गड़गड़ाहट में पटना के सेक्रेटेरिएट के सामने गेट पर खड़े हो गये । वहां पर पहले ही से डब्लू सी आरचर खड़ा था । कलेक्टर हाथ में घड़ी बांधे, हंटर लेकर घूम रहा था । सारे सेक्रेटेरिएट में पुलिस, सशस्त्र पुलिस खड़ी हुई थी । हम लोग नारा दे रहे थे कि अंग्रेजी राज का नाश हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो । हम लोग तीन बजे गोरखा से लड़ने लगे । गुरखा सिपाहियों को हमने खदेड दिया था । इसके पहले एक ने जाकर सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहरा दिया था । तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी । आरचर उधर देखने में लगे हुए थे । झंडा लहरा रहा था । हम लोग नारा लगा रहे थे कि झंडा हमारा है । अंग्रेजी राज का नाश हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो । गांधी जी की जय, पंडित जवाहरलाल जी की जय । उसमें साढ़े तीन चार बजे आवाज आती है तड़-तड़ की । विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आकाशी फायरिंग हो रही है, आगे बढ़ो । इतने में खून की धारा बह चुकी थी । रेलवे क्रासिंग पर हमने नौजवानों को इकट्ठा किया और जुलूस निकाला । ये विद्यार्थी पटना के थे । ये नौजवान अगस्त क्रांति में थे । लोकनायक जय प्रकाश नारायण इन सब का हजारीबाग जेल से अवलोकन कर रहे थे । देश में क्रांति तूफान आया हुआ है । कैसे इस तूफान में शामिल हो सकता हूं वह यह सोच रहे थे । यह

[श्री शिव चन्द्र झा]

हालत आपके बनारस की थी । यही हालत लखनऊ में थी । बम्बई में थी । सारे भारत में सारे शहरों की थी । नौजवानों ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो और मिशाल को ऊपर उठाया । अगस्त क्रांति के नाम से हमारे इतिहास को आप जानते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी । गौरी फौज आ गई थी मधुबनी में । गांधी टोपी या खद्दर के कपड़े कोई पहने हुए था तो उसको गोली से उड़ा दिया था । गौरी फौज आ गई थी । इस सारी स्थिति से लग रहा था कि देश में कुछ होने वाला है । उस दौरान बहुत सी घटनाएं हुईं । हिंसा की घटनाएं भी हुईं । नौजवानों ने सीना खोल दिया था । छपरा में, बलिया में नौजवानों ने सीना खोल दिया था । जय प्रकाश नारायण ने कहा, आजाद करो । जिलों में बलिया और सतारा (महाराष्ट्र) नम्बर एक पर रहा । बलिया में इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली । कई महीनों तक अपनी हुकूमत कायम रखी । सीना तान कर गोली खाई । यह सारा हिन्दुस्तान के नौजवानों ने किया और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी । वे लोग कह रहे थे कि बदमाशों ने, गुंडों ने यह किया। नौजवानों ने कहा कि हम गुंडे नहीं बनना चाहते, बदमाश नहीं बनना चाहते, हम देशभक्त बनना चाहते हैं, हम देशभक्त हैं । सब चुप हो गये । अहमदनगर जेल से पंडित जी निकलते हैं । जय प्रकाश जी निकलते हैं । उन्होंने क्या नहीं किया यह अलग कहानी है । पंडित नेहरू ने कहा :

"I take the entire responsibility for what happened in 1942, the brightest chapter in the history of India, the glorious chapter in the history of India."

2 में जो हुआ वह रिहर्सल थी । ना अब होने वाला है यह पंडित जी का कहना था । इससे पहले देश मृतक समान था, समाज मृतक समान था । पंडित जी के कहने से नौजवान जाग उठे उन्होंने यह कहा कि सेक्रेटेरिएट की हम एक-एक ईंट उखाड कर फैंक देंगे । पंडित जी ने कहा आप हमेशा तैयार रहिये । हम कभी भी आपको कह सकते हैं। मैं क्या बताऊं । सरकारी मुलाजिम अखबार को अपनी जेब में रखते थे । पियन जब चिट्ठी देने जाता था तो कहता था कि पंडित जी ने कहा, गो । पंडित जी ने यह नारा दिया है । और उन्होंने शुरू कर दिया । यह सब किसने किया, नौजवानों ने किया । जो कि हमारा glorious chapter in the history of India, brightest chapter in the history of India, समझा जाता है । जिसने आजादी की गति को आगे बढ़ाया । यह नौजवानों ने किया था । आप आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं आजादी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं । क्या राष्ट्रपति की बागडोर के लिए इसको नहीं बढ़ा सकते, गवर्नर की बागडोर के लिये यह नहीं कर सकते? इसको आप संभाल सकते हैं । क्या नवजवान गवर्नर की बागडोर नहीं चला सकते हैं, जरूर चला सकते हैं । 30 साल की उम्र में वे ये काम कर सकते हैं । जे० पी० आन्दोलनन को लीजिये । यह आन्दोलन किस ने चलाया था ? आप कहेंगे कि यह सब गड़बड़-खड़बड़ है । इससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जे० पी० का आन्दोलन छात्रों ने चलाया था, इस देश के नवजवानों ने चलाया था । देश भर में जब जनतंत्र पर कुठाराघात हुआ, हमारे संविधान पर प्रहार हुआ और जनतंत्र का खात्मा करने जैसी परिस्थिति हो गई तो जयप्रकाश नारायण जी ने सम्पूर्ण

क्रांति का नारा दिया और उस आन्दोलन को हमारे देश के छात्रों और नवजवानों ने आगे बढ़ाया । सन् 1977 में जो कुछ हुआ वह सब बेलेट के जरिए, वोट के जरिए हुआ । दुनिया के इतिहास में इस तरह की क्रांति दिखाई नहीं देती है । अमेरिका के रिवोल्यूशन के बारे में मैंने कहा । लेकिन हमारे यहां जे० पी० का आन्दोलन अपने ढंग का आन्दोलन था जिसको छात्रों और नवजानों ने चलाया । दूसरे देशों में जो क्रांतियां हुईं उनमें कत्ल कर दिये गये । लेकिन हमारे देश में गांधी जी के द्वारा बताये गये मार्ग पर चल कर आन्दोलन हुआ । जे० पी० का आन्दोलन इसी प्रकार का आन्दोलन था जो शांति के रास्ते पर चल कर चलाया गया और जनतंत्र को मरने से बचा लिया गया । इससे साबित होता है कि हमारे देश के नवजवानों में सब तरह की योग्यताएं हैं। वे किसी भी काम को आगे चला सकते हैं । वे भारत के सो काल्ड नेताओं से बहुत आगे हैं, जनतंत्र के प्रहरी हैं । जनतंत्र की रक्षा के लिए सन् 1977 में बेलेट के जरिए, वोट के जरिए एक नया इतिहास बना। यह सब हमारे देश के छात्रों और नवजवानों ने किया । जे० पी० के आन्दोलन में छात्रों और नवजवानों का बहुत बड़ा हाथ था ।

अब मैं आसाम के मामले पर आता हूं । कल या परसों यहां पर आसाम की चर्चा हुई । आज आसाम के नवजवानों ने सरकार के दांतों चने चबा दिये हैं । वे किसी भी पार्टी में नहीं हैं । किसी को कोई हिम्मत नहीं कि उन पर प्रभाव डाल सकें। वे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी अपनी ताकत है, अपना आत्म-विश्वास है और काम करने का अपना ढंग है । आप आसाम के नवजवानों के सामने ठहर नहीं पाते हैं . . . (**व्यवधान**) ।

श्री उपसभापति : अब आप अपना भाषण खत्म कीजिये । इस पर बोलने के लिए बहुत से नाम हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं खत्म कर रहा हूं । आसाम की नवजवानों की बात को आसाम की सरकार और केन्द्रीय सरकार भी नजरअन्दाज नहीं कर सकती है । जैसी उनकी मंशा है, जैसी उनकी ख्वाहिश है, उस तरह से वे समस्या को हल करना चाहते हैं । इसी प्रकार से अब आप पंजाब में आइये ।

श्री उपसभापति : बंगाल के नवजवानों का भी इतिहास है ।

श्री शिव चन्द्र झा : पंजाब की बात आजकल हो रही है, इसलिए मैं पंजाब पर आता हूं । पंजाब के नवजवान पगड़ी बांधते हैं । उनके माथे पर बेशक पगड़ी होती है और ऊपर से साइनबोर्ड अकालियों का होता है, लेकिन साइन बोर्ड भले ही अकालियों का हो आप नवजवानों को अपने पथ से नहीं हटा सकते हैं । हो सकता है कि उनके बारे में कुछ भ्रम हो, लेकिन फिर भी वे अपनी बात को लेकर उठे हैं और आज आप में हिम्मत नहीं है कि आप थोड़ा भी उनको इधर-उधर करें या उनको गिरफ्तार करें । भारत का इतिहास नवजवानों के अपने खून से लिखा गया है। जिन्होंने अपने कारनामों को इतिहास में लिखा, अपनी शहदतों से इतिहास को बनाया । जो ऐसे कार्यों को निभा सकते हैं क्या वह भारत के राष्ट्रपति की बागडोर नहीं संभाल सकते, क्या गवर्नर की बागडोर नही संभाल सकते हैं ? पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हुए थे । उस समय वह कितने साल के थे, उनकी क्या उम्र थी ? 40 साल उनकी उम्र थी । अपनी आटोबाईग्राफी में उन्होंने लिखा है । दूसरे गोखले थे जो

[श्री शिव चन्द्र झा]

40 साल की उम्र में कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हुए । सबसे यंगर मौलाना आजाद हुए जो कि 36 साल की उम्र में कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हुए थे, वह ज्यादा यंगर थे । जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट बनाने का प्रस्ताव आया, तो आप कांग्रेस के बारे में जानते ही हैं, सब ने माथे पर हाथ दिया । उस समय जितने कांग्रेसी लोग थे उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस की नैया डूबने वाली है और जो भी आंदोलन चल रहा है वह भी खत्म हो जायेगा । एक ऐसे आदमी को बनाया जा रहा है कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट जो सब को डुबायेगा । उनके चाहने वाले दो ही लोग थे । यह खुद पंडित नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है । उनमें एक पंडित मोतीलाल नेहरू जिनके वे लड़के थे और दूसरे महात्मा गांधी जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया । पंडित जी ने लिखा है कि इन दो के सिवाय कोई भी नहीं चाहता था कि मैं कांग्रेस प्रेसीडेन्ट बनूं और मैं सबके लिये सर दर्द हो गया था कि यह कांग्रेस की नैया को डुबा देगा । गांधी जी आते हैं पंडित जी के सामने और गांधी जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें जहां देश को ले जाना है उधर देश को ले जाओ मैं जनता को तुम्हारे साथ लाऊंगा । जिधर देश को ले जाना हो ले जाओ लेकिन एक ही बात याद रखो कि कोई ऐसा काम न हो, ऐसा कदम न हो जिससे देश कहे कि यह काम पंडित जी की वजह से हुआ है, देश की हालत पंडित जी की वजह से खराब हुई है, केवल इतना ही ख्याल रखो और मैं तुम्हारे साथ जनता को लाने के लिए तैयार हूं । 40 साल की उम्र में वह कांग्रेस प्रेसीडेन्ट हुए और उसके बाद का इतिहास आप सब जानते हैं । इसलिये मैंने कहा कि यह कोई मुश्किल नहीं है । जब इतनी जिम्मेदारियां, इतना संघर्ष हमारे नौजवान ले सकते हैं तो फिर वह राष्ट्रपति और गवर्नर की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते हैं ? इसलिये समय का तकाजा यह है कि देश में वोट देने की जो उम्र अभी 21 साल है उसको घटाया जाय और उसको 18 साल कर दिया जाय । इस बारे में मेरा संविधान संशोधन विधेयक है । बहुत दिनों से यह बात चली आ रही है कि वोट देने की उम्र 18 साल की जाय । यह बात इसलिये है ताकि जो नौजवान हैं उनके लिये हम फाटक खोलें, रास्ता निकालें, ताकि जो नौजवान हैं वे देश की प्रगति में हिस्सा बतायें, भाग लें, जिम्मेदारियां लें । उनके लिये फाटक खोलने की जरूरत है इसलिये उनके लिये ये दरवाजे खोले जायें । मेरा संविधान संशोधन विधेयक है कि राष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम उम्र जो 35 साल है उसको 30 साल कर दिया जाय ताकि नौजवानों को मालूम हो कि एक बड़ा फाटक, एक मेन गेट हमारे लिये खुल गया है । हो सकता है कि 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति न आये लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी राष्ट्रपति देश के हुए हैं वे सब 60 साल के ऊपर के हुए हैं कोई भी 35 या 36 साल का नहीं हुआ है और न इसकी संभावना है कि इस उम्र का कोई होने जा रहा है । लेकिन संविधान में 35 साल रखा गया है ताकि जो भी नौजवान इस तरह की जिम्मेदारी उठाने के योग्य है उनके लिये फाटक खुले रहें । अगर वे योग्य हैं तो क्यों वे हुकूमत न चलायें, शासन न चलायें, देश को न चलायें । अगर राष्ट्रपति और गवर्नर की उम्र 35 साल से 30 साल कर दी जाय तो इससे नौजवानों को इन्सेंटिव मिलेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा कि देश में हमारे लिये आगे बढ़ने के लिये, देश की सेवा करने के लिये मौका है, देश में हमारी

मांग बढ़ रही है । आज हमारे देश का नौजवान हताश है । 3 P M नौकरी के लिए बेकारी के कारण मारे मारे फिरते हैं और उनको मुसीबतें हैं जो देश से छोड़ कर के बाहर रहते हैं। बड़े-बड़े दिमाग वाले साइंटिस्ट इंजीनीयर सोचते हैं कि स्वदेश जा कर के क्या करेंगे वहां तो मौका नहीं है । अमरीका जाते हैं, इग्लैंड जाते हैं फिर वहीं रह जाते हैं । उनको यहां सुविधाएं हैं, तनख्वाह अच्छी है इसलिए वे सोचते हैं वापिस जा कर के क्या करेंगे । यह बात ठीक है कि यहां मौके नहीं हैं । यदि आप इस तरह से फाटक खोलते हैं तो नौजवान जो एक तरह से डिप्रेस्ड हैं, डिसएप्वाइंटेड हैं उनके लिए दरवाजा खुलेगा । चन्द्र शेखर को यहां मौका नहीं मिला वह अमरीका में रह गया । कल परसों मैंने पढ़ा कि श्री वसंत साठे ने कहा है कि ह्युस्ट टेक्सास में सब हिन्दुस्तानी डाक्टरों ने आप्रेशन किया । जो उनका हैड था वह अमरीको था वह तो नाम मात्र के लिए देख-रेख कर के चला गया । उन लोगों ने कहा कि हम हिन्दुस्तान में भी कर सकते हैं । यहां ह्युस्टन में हम करते हैं लेकिन वहां हमें मौका नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, पेरा-फरनेलिया नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है । तो आपको नौजवानों को मौका देना चाहिये दूसरे क्षेत्रों में । उन्हीं मांगों में यह मांग है कि राजनीतिक मौका हो जिसके लिए हम अपना सिंह दरवाजा खोल रहे हैं । ज्ञानी जैल सिंह का जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था तो सेंट्रल हाल में मुझे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पूछा कि आप किस को वोट दे रहे हैं । हमारे कैंडीडेट मिस्टर खन्ना थे । मैंने प्रधान मंत्री से कहा कि एक बात तो जरूर अच्छी है कि अंग्रेजी न जानने वाला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में जाएगा ज्ञानी जैल सिंह के आने से यह परम्परा जो अब तक चल रही थी कि अंग्रेजी जानने वाला ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में जा सकता है बगैर अंग्रेजी जानने वाला घुस नहीं सकता है तब मैंने सोचा कि चलो अंग्रेजी का फाटक तो बन्द होगा और हिन्दी का दरवाजा खुलेगा, अंग्रेजी की परम्परा जो अब तक थी वह खत्म होगी । हिन्दी देश में हावी होगी और हिन्दी जानने वाला राष्ट्रपति होगा । गांधी जी का यह आदर्श था कि देश का पहला राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री हरिजन हो उसी तरह से हिन्दी जानने वाला हमारा राष्ट्रपति हो । यह एक सपना था । तो उन्होंने कहा कि आप तो अंग्रेजी को वोट देंगे मैंने कहा कि कम से कम यह बात अच्छी होगी । तो यह एक नयी चीज हुई । राष्ट्रपति के बारे में मुझे पता है कि नहीं बोलना चाहिये बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है जितने अंग्रेजी के अखबार, पत्रिकाएं थी सब बन्द कर दिये गये हैं और अब हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं आ रही हैं । वहां एक वातावरण हो दूसरा हो गया है । एक नयी चीज है । उसी तरह से आप यह सिंह दरवाजा खोल दें भारत के नौजवान आज जो बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड हैं उनके लिए एक मौका होगा । 35 से 30 करेंगे तो यह नौजवानों के लिए इनसेंटिव के रूप में यह होगा कोई प्रधान मंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, लोक सभा, राज्य सभा के वोट देने वाले लोग होंगे, हम और आप बदलेंगे लेकिन यह एक सिलसिला चलेगा । हमें एक ऐसा प्रेरणादायक वातावरण बनाना चाहिये । पंडित जवाहर लाल नेहरू स्रोत थे, गंगोत्री थे, नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए । यह सब मैं यदि कहूंगा तो मुझे ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) पीठासीन हुए]

मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को मद्दे नजर रख कर संविधान में संशोधन किया जाए। मंत्री जी, अब मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान) भारत के नौजवान मौका मांग रहे हैं, भारत की पोलिटिक को यदि आप मजबूत करना चाहते हो।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह अभी तक प्रिफेस था ? अब तक मैं उपसभापति को, उपसभाध्यक्ष को कह रहा था। आप नौजवान हो, सारे देश की आजादी के लिए कुछ किया या नहीं किया मुझे पता नहीं। भारत के नौजवान मौका मांग रहे हैं। भारत की डेमोक्रेटिक पालिसी को यदि मजबूत करना चाहते हो तो आपको और दरवाजे खोलने होंगे। बहुत दरवाजे हैं उनमें एक सिंह दरवाजा यह भी हैं राष्ट्रपति और गवर्नर की बड़ी पोस्ट के लिए उम्र का, जो कि भले ही प्रतीक मात्र है। इसीलिए मेरा कहना है कि इस संविधान संशोधन को मान लो। मैं तो मानता हूं कि यहां आने के पहले आपने शपथ ले लिया है बाइबिल उठाकर कि मैं नहीं मानूंगा। (**समय की घंटी**) मैं खत्म करता हूं बिहार की एक कहानी के बारे में कह कर। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बूढ़ा था, उसने कहा कि हमको यदि कोई दो दो, चार समझा दे तो मैं अपनी सारी जमीन, जमींदारी दे दूंगा। उसके लड़कों ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, दो, दो चार तो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा, उसने कहा कि मैं तो कभी मानूंगा ही नहीं कि दो दो चार होते हैं। इसलिए जमीन बंटेगी नहीं। इसलिए मंत्री जी आप फैसला करेंगे या यह कि कुछ भी बोलें, कितने तर्क दें, कितनी जोर से आवाज दें कितना भी समर्थन सदस्यों से मिले, हम तो मानेंगे नहीं ? अब तो कसम उठाकर बैठे हैं। इसी लिए आप प्रेस्टिज इश्यू मत बनाओ। कम से कम सरकुलेशन के लिए आप इसे भेज दो, यह मध्यम मार्ग बुद्ध का कहा हुआ है। यह बुद्ध और गांधी का देश है। जनता का ओपीनियन ले लो, जनता क्या चाहती है। ठीक है करना न करना दूसरी बात है। इतना कर सकते हो मिनिमम। इससे बहुत बड़ा फायदा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को पेश करता हूं और चाहता हूं कि आप मान लें और सरकुलेशन में भेज दें।

.. The question was proposed ..

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members, namely:—

1. Shri Sankar Prasad Mitra
2. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
3. Prof. Sourendra Bhattacharjee
4. Shri Gulam Mohi-ud-din Shawl
5. Shri Shariefud-din Shariq
6. Shri Amarprosad Chakraborty
7. Shri Ghulam Rasool Matto
8. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first day of April, 1984."

The question was proposed .

श्री धूलेश्वर मीणा (राजस्थान) : आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब, मैं माननीय शिव चन्द्र झा जी के कांस्टीट्यूशनल अमेंडिंग बिल का हृदय से विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, झा साहब अपने एक घंटे के लंबे भाषण में सारा हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व घूम कर वापस आये और उन्होंने कई कहानियां और किस्से सुनाये। इस बिल का दायरा बहुत ही छोटा सा है राष्ट्रपति जी और गवर्नर्स की उम्रों के अन्दर कमी करने का यह प्रस्ताव है लेकिन अपने देश की आजादी से लेकर और देश में क्या-क्या खुराफातें हो रहीं हैं और क्या-क्या कराई जा सकती हैं इन सब चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : आप बिल में रहिए।

श्री धूलेश्वर मीणा : तो मैं आपके फरमान के अनुसार उन्हीं पौइंट्स पर आता हूं। श्रीमन्, मैं इस बिल का विरोध करना चाह रहा हूं। श्रीमन्, झा साहब ने सबसे पहले बताया कि संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, वे भी बहुत ज्यादा कोई विद्वान थे या नहीं थे, ये तो हम आप सब अन्दाजा लगा सकते क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा में ऐसे लोग बैठे हुये थे जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ में और बहुत ही गम्भीर विचार करने के बाद हर चीज पर, हर आर्टीकिल पर, हर मुद्दे पर बहस के बाद यह नतीजा निकाला और जो उचित समझा वही उम्र उन्होंने रखी। झा साहब ने खुद भी बताया। पंडित नेहरू का उदाहरण दिया, शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण दिया लेकिन उनमें से उन्होंने किसी की भी उम्र इतनी कम नहीं बताई जिसकी कि इस काम के लिये जरूरत थी। उससे कोई कम नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी चालीस साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। विवेकानन्द जी की उम्र आपने 49 वर्ष की बताई जब उनकी मृत्यु हुई थी, हालांकि मेरी इनफार्मेशन है कि 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गयी थी। लेकिन फिर भी 35 साल से कम करके 30 साल की मांग करना उससे तो कहीं ज्यादा ही थी :

श्रीमन्, इस उम्र को कम करने का मैं विरोधी नहीं हूं विरोधी मैं इस बिल का हूं।

श्री हरे कृष्ण मल्लिक : क्यों ?

श्री धूलेश्वर मीणा : सुनिये तो सही। आप तो डाक्टर।

आज मैं मानता हूं कि देश के अन्दर आजादी के बाद से चहूं तरफ हमारा विकास हो रहा है और शिक्षा की दृष्टि से काफी विकास हुआ है और इस बात को अगर मद्देनजर रखें, तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी टेलेंटेड, बहुत अनुभवी, बहुत अच्छी निलक रही है। विज्ञान के फील्ड में और दूसरे जो भी कार्य हैं, उनके फील्ड में सभी नये-नये लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं—क्योंकि आपने उदाहरण दिये थे कि जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चला था, क्या उसके पीछे वही लड़के थे या वही कम उम्र के नौजवान थे जिन्होंने आगे आ करके इस काम किया ? नहीं, इसको लीड करने के लिये कोई क्रांति थी और आगे चलने में किसी नेता का हाथ था। इसी प्रकार से देश में जो भी आंदोलन होते हैं या कोई भी काम होता है, उसको लीड करने वाला होना चाहिये।

[श्री धूलेश्वर मीणा]

उदाहरण के तौर पर शिव चन्द्र झा जी भी अपनी उम्र के साथ---आपको मालूम है कि देश की आजादी में हमारे नौजवानों ने काम किया, देश की आजादी में किस-किस ने काम नहीं किया, कौन से सैक्शन ने काम नहीं किया ? वह एक नींव पड़ी थी जिन्होंने किसी की आवाज पर---किसी ने बुलन्द आवाज की और उसके आगे हजारों लोग अपने आपको न्यौछावर करने के लिये तयार हो गये ।

तो इसीलिये उन लोगों के लिये जो 35 से 30 साल की उम्र आप करना चाहते हैं, उन लोगों को किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है । इसलिये अगर आप 35 से 30 साल कहते हैं और यदि आपके बाद कोई आकर के 30 से 25 साल कर लेने की मांग करेगा तो इस तरह से धीरे-धीरे उम्र घटाने से काम नहीं चलेगा ।

आपने फरमाया कि हमारा वोटिंग राइट जो है, 21 साल से आप 18 साल करना चाहते है । उसमें कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है । जिम्मेदारी की बात यह है कि हम अपने समाज की या अपने घर की संभाल कर सकते हैं कि नहीं, उतनी ही उसके अन्दर बुद्धिमानी आनी चाहिये । वोटिंग के लिये अट्ठारह वर्ष तक व्यक्ति बुद्धिमान उतना तो हो जाता है, उसके लिये वह हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और किसी स्टेट के राज्यपाल के लिये यदि 35 से 30 साल करेंगे और जिम्मा देंगे तो तीस साल से कम या तीस साल तक किसी भी आदमी में परिपक्वता नहीं आती और यही बात थी कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं में सभी जितने सदस्य थे, उन्होंने संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो उम्र 35 साल रखी है, वह सही रखी है ।

मैं आपका ध्यान और हाउस का ध्यान भी इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मान लीजिये कि श्री शिव चन्द्र झा का अमेंडमेंन्ट बिल अगर हम मान लें, आप सोचिये कि तीस साल के बाद ही अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है और छः साल के बाद वह रिटायर हो जायेगा, तो फिर वह क्या करेगा ?

श्री हरेकृष्ण मल्लिक : घर में रहेगा ।

श्री धूलेश्वर मीणा : क्या वह पान की दुकान या कोई और दुकान खोल करके बैठे ? उसके पास लाइवलीहुड का साधन क्या रहेगा ? यही नहीं, झा साहब आप जानते हैं कि आप और हम दोनों लोक सभा में थे और तब मेरे सामने भी यह समस्या आई थी 1971 में जब कि मिडटर्म पोल हुआ, हार गये । उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बन गये और उसके बाद हम कहा से कहां रहे ।

यह ठीक है कि हम लोग फिर राज्य सभा में आ गये । लेकिन इस प्रकार की कठिनाई हर आदमी के सामने आती है ।

तो मेरा निवेदन है, झा जी से, मैं मानता हूं कि वह तो हमेशा कई एक प्रकार के अमेंडमेंट बिल लाते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा इनसिस्ट नहीं करें। और मैं माननीय मंत्री जी और हाऊस से भी निवेदन करूंगा कि यह बात कोई मानने लायक नहीं है । श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जनता की आवाज की और सदन का, आप का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था कि जनता क्या चाहती हैं, जनता के नौजवान क्या चाहते हैं । तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि झा साहब, आप का ही ठेका नहीं हैं, हम लोग भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग भी जनता में जाते हैं, जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है इसका दावा सिर्फ आप नहीं कर

सकते। जनता जो भी चाहती है, जैसी भी चाहती है उसी प्रकार से सरकार बनी है और उसी प्रकार से सरकार चल रही है। तो मैं आज के इस छोटे से बिल का—इसमें दो ही प्रावीजन हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : छोटे से बिल का जोरदार विरोध कर रहे हैं।

श्री धूलेश्वर मीणा : मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं दिल खोल कर विरोध करता हूं। इसलिये इतनी लम्बी चौड़ी कहानी को न लेकर छोटे से रूप में—झा साहब तो बहुत माने हुये जर्नलिस्ट हैं, इनका एक पैर इंडिया में रहता है तो एक इंडिया के बाहर रहता है—इतना ही निवदन करूंगा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं और चाहूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Mallick, I think, you have already spoken.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): What was it that you were doing till now? Are you interested in speaking?

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please do.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, this is a rare Bill which we are discussing today. What we are doing today is not only for today, it is for the eternity which is ahead of the nation. Sir, it is said that this is the House of elders. Therefore, the deliberations of the House should be such, in that sense and in that context so that this nationhood would be continued till eternity and the eternal prayer is that the freedom and democracy in this country, which is the greatest democracy in the world, should be continued till eternity. But the question is, how? Only if the future of the nation is ready and steady, sound, strong, youthful and vigorous. If today is a limping day, naturally, tomorrow will be a lame day. Therefore, today must be a steady day so that to morrow can be a steady and ready day.

AN HON. MEMBER: Not lady day?

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Even if it is lady day, no problem. But the question is, it should be a steady day. Sir, even if we have to sacrifice ourselves, here and now, to relinquish the Chair or the office which we hold I shall be the first person to proceed ahead. Here, I would like to give one example. A Yagna was going on. The priest himself was offering prayers that his head will fall into the fire first. See the beauty. Knowing fully well that this will be his fate, he was doing it because duty is duty.

Therefore, we should not think, we should not have any apprehensions or fears that if such a Bill is passed, I will be the loser or my party will be the loser or my leader will be the loser and so on. In that case we shall be failing in our duty and failure in duty in any context or in any field means failure for the whole country and failure for our future. The axion runs that child is the father of the man. As such, those whom we call young today will be the elders of tomorrow and if we are elders today, naturally, we were young yesterday. Therefore, there cannot be a tussle or a tug of war between the old and the youth. The question is, we have to see what is the best and what should be the best for the future of our nation. In this regard, naturally charity should begin at home. Why has the hon. Member brought forward this Bill about the President and the Governor, why has he not brought forward a Bill about the Prime Minister and the Home Minister? The reason is that the President and the Governor are the symbols of the State. Sovereignty of the nation lies in the President, and that is why he has thought about these highes posts in the State.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Is there any age limit for the Prime Minister or the Minister? How can you bring in this point when there is no amendment?

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): There is the age limit because you cannot be a Member of the Lok Sabha until you are 25 and you cannot be a Member of the Rajya Sabha until you are 30.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That is the early age limit.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: So, this is the moot point and that is why he has brought forward this Bill for consideration of the House. Once we have set our goal for the State, then it will be a matter for implementation. The whole emphasis will have to be laid on the youth. Here 'youth' means ability, health, utility, usefulness and not laziness, lethargy. It does not mean selfishness or ill-health that will be a handicap for the proper functioning of the person. Now, I am not going to raise the trifle point about the drain from the exchequer on the amenities to be provided to the Governors and the President. But the question is, everytime we find the Governors and the Presidents going abroad on grounds of health or for treatment. If that is so, why should we have such Presidents? Therefore, apart from all other things, you should take into consideration the question of health also. There should be a medical certificate whether he or she is fit to work for five years or four years, as the case may be. The very fact that you are sick should disqualify you from becoming a Governor or a President. That means, the certificate must be there that you are fit to work for five years.

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): He is referring to somebody's illness. Probably, he is aiming at the present President... *Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): No, no, he is not referring to anybody in particular. *Interruptions*) Please confine yourself to the Bill. You have not given any amendment to that extent. So kindly confine yourself to the Bill. (*Interruptions*).

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Already the hon. Member has said why he has brought forward this Bill. Already there is a general feeling that the voters' age limit should be 18 so that greater number of men and women could be involved in the democratic tradition. That is why even in schools we are thinking of holding youth parliaments. We have to create awareness among the youth and we shall have to catch them young. Or else once will allow them to go astray, it will be a difficult task for us to bring them back to normal way of life because habits die hard. Once habits are formed, they die hard. Then the old age itself is a handicap. There is a liability of son, of daughter, of son-in-law demanding something. These are the liabilities which will be disturbing. Obligations are many. "So and so helped me in such and such thing, therefore I should do this for him". But here the question is that the honour of the country is involved and you should not be the object of criticism. One article was published in the press—"Presidential Failings"—by Nayantara Sehgal about the role played or misplayed by Shri Sanjiva Reddy whether he should call Shri Jagjivan Ram or not..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not think we are going to discuss those things.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: I am only giving an example.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Mallick, if you look to the Bill, I do not think there is any bar of upper age limit. The Bill only seeks to reduce the permissible age from 35 to 30.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Coming to the Governor, Governor means a person who governs. The

moment we pronounce him a Governor, his hands become like this—he has to govern. If we send people who are moving about in the street, having the support of men and women and then looking for stature, how can they come up? I am happy that we have got one hon. Governor who is going deep into day-to-day affairs of every part of the State and every walk of life. He is one party Governor who has started telling that freedom was not given by Gandhiji and the freedom fighters for a few people to loot. He comes from the hard core of the party which is in power at the Centre. The same party is in power in that State. He is one person who has started thinking aright. And I am still more happy that that hon. Governor of Orissa was our erstwhile colleague right in this House and had been honouring this Chair with wit and humour and saga and sanity. But we do not know about other Governors what they are doing with what. That is the problem.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I don't think that Governor is below the age of 35.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Here again I come to fitness and attitude. Therefore we have to strike a balance and think seriously what we should do today. I am really happy that today all the elderly people of the Treasury Benches are away and one young Minister with all youthfulness is sitting there, just listening to the debate. I am happy that Treasury Benches have not considered youthfulness as anything wrong and have let the elderly people to be away. Let us now think of something which is coming up in future. An hon. friend just said "an old man from Bihar". He is not an old man from Bihar. He is very youthful Member from Bihar. What he has said, I hope no man from Delhi will oppose so that right from Delhi, we start something. We hope and trust that the future of the country is safe and the youth of India will no longer remain hungry or angry, because the moment the youth become angry, things will be different in any country. God forbid that thing happens in our country.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: A young man has to come to oppose him.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Who knows? That is what I suppose.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now please conclude.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Therefore, while supporting this Bill tabled by my hon. friend here, we should see, we make serious and sincere efforts to do this. Here the hon. Minister can commit that we can pass it, or a comprehensive bill should be brought and we should sit and see that this lacuna that was left in the Constitution is removed. As my hon. friend has said that all the Governors/Presidents are above 60 years. By this incentive, we may get Governors or Presidents of around 50 years of age. So, a lot of things will be possible.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): From your side when Morarji and Charan Singh are aspiring for becoming President and Prime Minister, you are talking of youth.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: I am talking today for tomorrow. And, by the way, I said that by calendar only Morarji is 87 but by youth he is only 37... (*Interruptions*)...I give full and emphatic support to this Bill and a clarion call that without any dilly-dallying they should adopt this.

SHRI P. N. SUKUL: Morarji will expel you from his party.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity for speaking on the subject. I seek your permission to move my amendment after my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I think you have moved it already.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: But I have not given the full text of the amendment in the first instance. I said "I move the amendment" but I did not read what I intended to do. I will do that after by speech is over.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): This amendment, as has been circulated, is treated as moved, with all the contents.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Then it is all right.

SHRI P. N. SUKUL: When we are discussing re-promulgation I think it is re-movement!... (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): To be reported by 1st April.

(*Interruptions*)

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Chairman, Sir, I must congratulate Shiva Chandra Jhaji that he has done wonderful homework and has given us a lucid picture. He spoke for one hour and ten minutes and gave a lucid picture of the entire world, telling us how young people have led the nations and how young people have created revolutions in their respective countries. This is a laudable idea and I congratulate him for that. He has done a lot of homework.

The idea behind this Bill also is laudable for the simple reason that the youth really feel frustrated and they feel that until and unless the age of 35 is reached, they are not in a position to contest for the highest office in the country. This thing is there and the spirit behind it is very good. I may add for his information that while he was giving the details of the world, I was recalling the events in some parts of the world. To my mind also came this point that the founder of one of the greatest religions, Islam, Prophet Mohammed, was only twenty-five when he started "Prophethood" as we call it. I also recall that in 1931, at the age of 26 only Sheikh Mohammed Abdullah came on the scene of Kashmir, he who gave us all that we have in Jammu and Kashmir today. It is because of him that we are there and doing what we are doing at this moment. So, the question of age is there. I do not understand how the framers of the Constitution had tagged it at 35. Now Mr. Jha wants to reduce it to 30 years. I have not been able to understand how he has fixed 30 years as the age limit. I notice that in his own remarks, in his speech he asked, if the framers of the Constitution have fixed it at 35 years, what was the reason? That is a counter-question he posed and that question seems to be valid.

Now, I am going through all this gamut of age. Age is not a factor which can primarily determine the alertness of mind or the things that one can do at a particular age. As I said, Prophet Mohammed started prophethood at the age of 25. I have another instance to show. We belong to a sect called Kubrawi which was introduced in Kashmir by Shali-e-Hamdam and his guru was one Sheikh Najmuddin Ahmed Kubra who is buried in Khorezm in Russia. At the age of 84 that man stood against the Mongol hordes of Chenghez Khan, and he died while fighting the Mongols. So, the age factor is not there. You can be docile at the age of 20ffi you can be alert at the age of 20. You can be docile at the age of 84; you can be alert at the age of 84. Age is not a relevant factor so far as posts are concerned. This is also enshrined in our Constitution, and that is that under the People's Representation Act the age for contesting election is 21 years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): No; for voting.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: The voting age is 21, which means that the Prime Minister of the country can be one who is 21 years of age.

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI GHULAM NABI AZAD: 25 years.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Anyhow, it is 25 years. I am sorry I stand corrected. It is written here...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Mallick, have you joined the ruling party? It seems so. I have seen enough of you from this side. Please come here.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Under article 84 of the Constitution, the age for a Member of the Lok Sabha nas been fixed at 25 years. In other words, the Prime Minister can be of 25 years. If Prime Minister can be of 25 years and can run the government, why can't the President be of 30 years?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Matto, there are very interesting questions which still remain, which Mr. Mathur pointed out; when a person can be a Minister for six months without being a Member of the House, whether a person of 21 without being a Member can also become a Minister or Prime Minister, is a question which is still to be discussed.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: That lacuna is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That has relevance in the context of the Bill that we are discussing.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, your point is also relevant. But under the same article, article 84, with regard to the Rajya Sabha, the age has been fixed at 30 years. With regard to the President, it has been fixed at 35 years. So you see all these variations: 21 years, 25 years, 30 years 35 years. All this is so anomalous that I have not been able to understand the rationale of this thing. In order to know why the promoters of the Constitution fixed the age of 35 years and why Mr. Jha wants it to be 30 years, when a Member of the Lok Sabha can be elected at the age of 25 years, all this has got to be gone through. And that is precisely why I have moved that the Bill further to amend the Constitution of India be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members, namely:

1. Shri Sankar Prasad Mitra
2. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
3. Prof. Sourendra Bhattacharjee
4. Shri Gulam Mohi-ud-din Shawl
5. Shri Sharief-ud-din Shariq
6. Shri Amarprosad Chakraborty
7. Shri Ghulam Rasool Matto
8. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first day of April, 1984. Sir, a question has ben asked by Mr. J. P. Mathur, why I had fixed 1st of April, 1984. I really did not mean any disrespect nor do I mean that it should be an "April Fool" affair. I meant only this thing, that on the 2nd of April, 1984 unless he is re-elected, Mr. Shiva Chandra Jha ceases to be a Member of this House. So, this date, the 1st of April, 1984, has been fixed by me for simple reason that this should be there so that it coincides with the termination of the membership of Mr. Shiva Chandra Jha in this House.

So, Sir, there must be something, as I said, to go into these variations of ages, 21 years, 25 years, 30 years, 35 years and the anomaly you have just now pointed out.

We recently had the Genetic Conference. One Indian doctor, Dr. Chopra, is the President of this Conference This Select Committee can also consult the professors of Genetics and find out why at a particular age he is capable of performing that duty and why a person cannot perform the duty of the President.

I am just saying that the ambit of this Select Committee should be enlarged so that it can consider why the age of the voter should be 21 and why there should be the discrimination in the minimum age between the membership of the Lok Sabha and that of Rajya Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I think I should restrain your speech. I think you have had your say.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: While supporting the spirit of Mr. Shiva Chandra Jha's Bill, I would request him very kindly to accept my amendment to his motion so that this Bill is referred to a Select Committee, to come out with considered practical arguments why we should lower the minimum age for the President.

श्री इर्शादबेग ऐयुबबेग मीर्ज़ा (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही सीनियर और सदन के सम्माननीय सदस्य श्री झा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं कड़ा विरोध प्रदर्शित करता हूं । ...(**व्यवधान**) [... उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में जो बातें बताई गई हैं इससे संबंधित मैं यह बात सदन में रखना चाहूंगा कि यह तो ठीक बात है कि जलते हुए घर को कृष्णार्पण करने की बात है, जो कुछ होने नही जा रहा है, जो कुछ अपने हाथों में नहीं है, उसको यह कह कर डालते हैं, दे देते हैं लेकिन वास्तविकता जब हमारे सामने आती है तो उसका परिणाम हमको भुगतने को मिला है, इस देश ने देखा है, इस देश की राजनीति ने देखा है । मैं इसके चंद उदाहरण और इसकी परिस्थितियां आपके सामने रखना चाहूंगा । मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें गर्व है, अभिमान है कि हमारा जब संविधान बना, जिन लोगों द्वारा यह संविधान बना है इस संविधान ने देश की गरिमा को कितना ऊंचा उठाया है । मुझे आनन्द है कि आज हिन्दुस्तान का सर फक्र से ऊंचा है । जो संविधान हमारे नेताओं ने बनाया, जो मिल-जुलकर बनाया; पूरे विश्व के संविधानों को देखते हुए यह संविधान हमारा बना है । आज मुझे यह कहते हुए आनन्द है, मैं यह कहना चाहूंगा कि कल विदेश के कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ विद्यार्थी आये हुये थे । उनके साथ मैं बात कर रहा था । तो उन्होंने यह सराहना की कि जो हिन्दुस्तान का संविधान बना है उसमें अलग-अलग प्राविजन रखे गये हैं वह इस बात को साबित करते हैं कि हमारा संविधान जो बना है यह संविधान पूरे विश्व में अपना अलग और ऊंचा मकाम रखता है । वजह यह है कि हमारे जो भी नेता थे, जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने हमारी तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दुस्तान की जो परिस्थितियां हैं उसका ध्यान रखते हुए, उसको देखते हुये उन सब चीजों का प्रावधान किया । इस बात को रखते हुए हम यह बात भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी को हमारी सेनाओं का अध्यक्ष बनाया है । हमारी सेनाओं का जो चीफ बनाया है वह राष्ट्रपति को बनाया है . . .न कि प्रधानमंत्री को बनाया है ? क्या वजह है कि मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह प्रोविजन इस संविधान में रखा गया था तब मतलब यह था कि देश में अगर कोई भी बात चलती है, हिन्दुस्तान कोई छोटा देश नहीं है हिन्दुस्तान बड़ा देश है, कई भाषाएं चल रही हैं, कई जातियां हैं, कई पार्टियां हैं लेकिन सबको साथ लेकर के अगर अखण्ड और मजबूत भारत बनाना है तो हमको चाहिये कि देश की इन तमाम परिस्थितियों को सामने रखते हुये हमको देखना होगा देश को किस तरह आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है और वजह यही है कि क्यों प्रधानमंत्री को हमने अध्यक्ष नहीं बनाया है । हमारे यहां पर लोकतंत्र है इसमें हमें एक नया किला बनाना था, लोकतंत्र को अधिक शक्तिशाली बनाना था । यही वजह है कि हम कुछ बैलेंस्ड होकर ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिससे देश में लोकतंत्र की नींव अधिक मजबूत हो । पूरे विश्व में लोकतंत्र और ज्यादा शक्तिशाली बने । यही वजह है

कि हिन्दुस्तान जैसे महान देश में जहां असंख्य जातियां हैं, असंख्य विषय हैं, भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं तब जाकर के कोई भी ऐसी बात न बनने पाये जिससे इस देश में कहीं कोई नुकसान पहुंचे । देश की अखंडता को नुकसान न हो, देश कमजोर न बने । राष्ट्रपति की आयु की बात जब आई तब ये तमाम चीजें समझकर सोच कर रखी गईं । मैं इसका समर्थन करता हूं कि जो हमारे संविधान में जितनी बातें हैं न बातों को लेकर के हमको चलना है और हमने देखा है कि इस देश में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई हैं जब ऐसे वक्त में अगर समझदारी से कोई निर्णय नहीं लेंगे तो हो सकता है कि इस देश में लोकतंत्र को हम जोखिम में डाल सकते हैं । नौजवानों की बात आती है । तो मैं तमाम राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि जाकर के वे देखें जब आप टिकटें अलाट करते हैं अपनी पार्टी में से प्रत्याशी बनाते हैं तब आप क्या करते हैं ? मैं प्रधानमंत्री श्रीमती इंन्दिरा गांधी जी का अभिनन्दन करता हूं, उनकी पार्टी का अभिनन्दन करता हूं, उनके नेताओं का भी अभिनन्दन करता हूं । पहली बार आप देख लीजिये चाहे वह लोक सभा हो, या राज्य सभा हो, या देश की विधान सभायें हों, आप बताइये कि कौन-सा राजनीतिक दल है जिसने नौजवानों को यह मौका दिया है ? यह कांग्रेस पार्टी है, जिसमें इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, एक नौजवान आया था इस देश में जो कुछ करना चाहता था । उसको देश ने देखा वह नौजवान क्या कहना चाहता था उस नौजवान ने अपनी बात देश के सामने रखी, प्रगतिशील विचार इस देश में सामने रखे । मुझे बताइए कौन से राजनीतिक लोग कौ, थेन-सी पार्टियां थीं जिन्होंने उस नौजवान को सहारा दिया ? स्वर्गीय संजय गांधी ने देश को कहां ले जाने की बात कही थी ? क्या आप लोगों की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से उस नौजवान का समर्थन हुआ ? कहने की बात अलग है और करने की बात जब होती है तो दूसरी हो जाती है । आज इन्दिरा जी के नेतृत्व की वजह से मोर्जा इर्शादबेग एयूबबेग इस सदन के अन्दर राज्य सभा में मौजूद हैं । मुझे बताइये दूसरे राजनीतिक दलों ने कितनी संख्या में नौजवानों को मौके दिये हैं और यहां ला कर के बैठाया है, विधान सभाओं में भेजा है, प्रत्याशी बनाए हैं । 30 वर्ष या 35 वर्ष के नीचे की आयु वाले कितने नौजवानों को आपने सिलेक्ट किया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिमाग से कोई बात को सोचते हैं तो आप जानते हैं कि बहुमत नहीं है इस वजह से रख दीजिये लेकिन जहां आप यह पाते हैं तो मेहरबानी कर के आप जैसे सोचते हैं कम से कम जरा दिमाग से सोच कर के ऐसी बात कीजिये । नौजवानों को अगर आगे बढ़ाना है, सदन की कार्यवाही को उठा कर के देख लीजिये इसी सदन में हमारे नौजवान साईंटिस्ट्स जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं उनकी क्रिटिसाइज़ किया है, वह किस ने किया है ? जब आर्य भट्ट की बात यहां चल रही थी तो किस ने क्रिटिसाइज़ किया ? मैंने उस वक्त इस सदन के सामने कहा था कि नौजवानों को आगे बढ़ कर के आना चाहिए । हो सकता है उनकी कुछ क्षति भी हो लेकिन हमारे नौजवानों को चाहिये कि कम से कम उनकी ताकतों को इकट्ठा कर के आगे बढ़ें और हम आपके पीछे हैं । लेकिन जब भी कोई नौजवान आगे बढ़ना चाहता है देश के लिए कुछ करना चाहता है तो कौन-सी ताकत है जो उसकी राह में आती है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अग

[श्री इर्शादबेग ऐयुबबेग मीर्जा]

नौजवानों की बात करनी है, नौजवानों को आगे लाने के माध्यम से आप इस तरह से गलत-सलत प्रस्ताव सदन के सामने न ला कर के आने वाले दिनों के अन्दर आप यह साबित कर के दिखाएं कि सही मायनों में हम नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं । नौजवान शक्तियों को ऊपर उठाना चाहते हैं । क्या हम भूल जाते हैं कि इतने बड़े देश का हमें कारोबार करना है, समझदारी के साथ उसका कारोबार करना है । कितनी महान विभूतियों ने हमारे संविधान को बनाया है, कितने दिनों, कितने वर्षों के परिश्रम के बाद संविधान को एक नया रूप दिया है । क्या इस संविधान में जो बातें हैं वे ठीक नहीं हैं ? जिस तरह से नाम लिया जाता है पंडित जवाहर लाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, बाबा साहब अम्बेडकर का, क्या ये महान विभूतियां नहीं थी ? क्या उनका दिमाग सही नहीं चल पाता था । इतनी महान विभूतियों ने अपने दिमाग को कष्ट दे करके इस संविधान में प्राण डाले हैं जिसकी वजह से ही आज भारत अपना मस्तक उन्नत करके विदेशों के सामने चल रहा है । तो मैं यह कहना चाहूंगा उपसभाध्यक्ष महोदय कि जो बातें हमारे संविधान विदों ने पहले बनाकर छोड़ी हैं, उसमें जिन बातों को कहा गया हैं, मैं आज भी उनकी ताईद करता हूं, मैं आज भी उनका समर्थन करता हूं और इन बातों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि ऐसी बात हमें कभी करनी चाहिए । हमको ऐसी बातें सोच समझकर करनी चाहिए, समझदारी के साथ करनी चाहिएं, कुछ ऐसे सुझाव देने चाहिएं कि जिनसे देश को मजबूत बनाया जा सके, देश को आगे लाया जा सके । सिर्फ ऐसी बातें सदन में नहीं करनी चाहिएं क्योंकि हमें मालूम है कि सदन का एक-एक पल कितना कीमती है । इन पलों के अंदर हम लोगों को चाहिए, देश को मजबूत करने के लिए कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव भूमिका यहां पर प्रस्तुत करें कि जिसकी वजह से देश को आगे लाया जा सके । ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं जिनको ले जा करके ऐसे समय व्यतीत करना पड़े और जिनके ऊपर बहस करने के बाद भी इस देश के कंस्ट्रक्टिव वेज पर हमको कुछ न मिल पाए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । धन्यवाद ।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Mr. Vice-Chairman, the main object of the Bill which has been moved by the honourable Shri Shiva Chandra Jha to amend Articles 48 and 157 is only that the youth of the country should be given more opportunities and more responsibilities under the Constitution. In his very long speech—I think it was for one hour ten minutes—he has given a number of arguments in support of his Bill. I would like to mention here that the office of President of India carries very great respect as far as our country is concerned. The President of India is the head of State and has very many powers and functions. The executive power of the Union of India is vested and exercised in the name of the President of India either directly by the President or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution of India. The President of India, as Shri Irshadbaig Aiyubaig Mirza, has said, is also the supreme commander of the Defence forces. All executive action of the Government of India is taken in the name of the President. He exercises a number of executive, legislative and judicial functions. The President of India appoints high constitutional functionaries like the Prime Minister, the Central Government Ministers, Governors of States, Judges, of the Supreme Court, Judges of High Courts, the Auditor General of India,

the Attorney General of India, the Chairman and the other Members of the Union Public Service Commission, the Chief Election Commissioner, and in addition under Article 239 of the Constitution Union Territories are administered by the President acting, to such an extent as he thinks fit, through Administrators. Having regard to the Constitutional provisions, the ultimate responsibility vests in the President. Under article 72 of the Constitution, the President has the power to pardon, reprieve, respite or remission of punishment or to suspend or to remit the sentence of any person convicted of any offence. And these powers are of serious nature requiring maturity and that is why the minimum age of the President is fixed at 35.

As for the Governor of the State, under the provisions of the Constitution, the Governor is appointed by the President of India by warrant under his hand and seal and the Governor holds office during the pleasure of the President. He acts as the Head of the State and in that capacity he performs executive, judiciary, legislative and statutory functions. Under article 161 of the Constitution, the Governor has also the power to grant pardon, respite or remission of any punishment and as such the person to hold the office of Governor should be sufficiently mature and that is why the person to be appointed as a Governor should not be less than 35 years.

There has been a reference to the farmers of the Constitution. It has been mentioned by most of the Hon'ble Members why they have fixed the minimum age at 35 for this office. But in practice it has been seen that the person who becomes President or Governor is always far above 35 years. The choice of this person has been made all these years on the basis of long experience in the fields of public life, administration and social work. The Administrative Reforms Commission which had occasion to look into the working of the office of Governor has also *inter alia* recommended that the person to be appointed as Governor should be one who has had a long experience in public life and administration and who can be trusted to rise above party and prejudices. These recommendations apply with even greater force in the case of the office of the President of India. A minimum age of 35 years can be said to fulfill this criteria more than what would be the case if the age is reduced to 30 years.

There was a demand for lowering the voting age from 21 years to 18 years. I think my friend, Mr. Matto, is a little bit confused about Prime Ministership and the voting age. For his information I might mention that if a voter has to be 21 years before casting his vote, he cannot be a Prime Minister or Chief Minister or a Member of this House or the other House at that age.

I agree with a few of my friends who have opposed this Bill. As I said this post carries very great and high responsibilities and the person holding this post has to be mature enough to take decisions.

Mr. Shiva Chandra Jha in the course of his speech has mentioned two contradictory statements. On the one hand he said that President Reddy came to occupy his high post at the age of 64. On the other hand he wants to lower the minimum age of President from 35 to 30. No body has been appointed President or elected President at the age of 35. His argument would apply if he had become President at the age of 35 or 40 years. I don't think that we have the experience of having the President of India at the age of 50. So, where is the question of having a President for our country at the age of 35.

4 P.M.

Sir, he also mentioned in his speech that the youth of the country are very much frustrated and, therefore, they should be given these posts. I do agree with him that they are frustrated. But they may be frustrated for various reasons, for other reasons, for

[Shri Gulam Nabi Azad]

economic reasons, for reasons of unemployment and so on. But I do not agree with him that the youth of the country get frustrated to get the post of President of India or the Governor of any State in India. I agree with Mr. Mirza Irshadbaig Aiyubaig. He said that he would have gladly agreed—and I also would have agreed—if there had been any provision in the Bill to bring in more young people in the Rajya Sabha or to give them other posts either in the legislatures or in the organisations. But, Sir, as he has said, our party is the only party, Mrs. Gandhi's party, which has given the maximum representation to them in the Government, in Parliament, in the Legislatures and also in the organisation.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Also in the Ministry.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That I have already said. But this post of President of India and the post of Governor of a State need really an age when the individual is very much mature, when he can think and take up issues with a cool mind, when he can see things in the proper perspective and then can take a decision. Shri Shiva Chandra Jha has made a mention of the Shankaracharya and of Vivekananda and he has also cited a number of such examples from foreign countries. But I would like to mention, Sir, that the present age and the present world in which we are living today are highly complicated and more complicated than ever before. What he said might have been true some thousands or some hundreds of years ago when young people would have had to occupy the highest position. But then things were not that complicated as they are today. Today, Sir, we are living in a scientific age and we are living in the age of science and technology and the present-day world in which we are living is very much complicated. We have to take up so many issues and tackle them not only *within the* country, but also outside the country, at international level. All these issues need to be tackled with a very very cool mind and for that we have to have as President of India a person at that age when he can think things with a cool mind. So, Sir, keeping all these things in view, I would only request the honourable Member to withdraw the Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Yes, Mr. Jha.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी बड़ी उम्मीदें थीं कि मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो कुछ बातें जो यहां उठायी गयी हैं, जो मैंने उठायीं और दूसरे साथियों ने उठायीं उन का कुछ वैज्ञानिक जवाब देंगे, लेकिन जिस रूप में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उस से साफ होता है कि उन की लीक पहले ही बनी हुई है कि हम को इसी लीक पर चलना है, कोई नयी लीक हमें बनानी नहीं है । बात मैंने उठायी कि 35 साल जो राष्ट्रपति और गवर्नर की उम्र अभी है उस को 30 कर दिया जाये। मैंने सवाल उठाया कि 35 किस बेरोमीटर से फैसला किया गया, किस तराजू पर तौल कर निकाला गया । मंत्री महोदय आप के पास तमाम पलटने हैं, आप साइंस की बात करते हैं, आप के पास तमाम विशेषज्ञ हैं .. मेच्योरिटी की बात आप करते हो । किस बायोलाजिकल दर्जे पर बताया गया है कि 35 साल का आदमी मेच्योर है और 30 का नहीं है । आप को इस का जवाब देना चाहिए । साइकोलोजी में भी डिस्कवरीज हुई हैं जिन से हम जानते हैं कि किस तरह से कंडीशन्स रेस्पांस करती हैं । यह आप ने हमें बताया नहीं कि आदमी 35 साल में कैसे मेच्योर हो जाता है । उस का साइंटिफिक क्राइटेरिया क्या है । इस पर आप ने कोई रोशनी नहीं डाली । चूंकि संविधान में रख दिया गया है, संविधान सभा में कह

दिया गया है इसलिये यह ठीक है। हमारे नौजवान साथी उधर से बड़ा अच्छा बोल रहे थे। हम को कहा जा रहा था कि वे अपोज कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि जो भी हो; उन का बोलने का तरीका ठीक है। उनका भी कहना है कि संविधान सभा में हमारे यहां के बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग थे, ज्ञाता थे और उन्होंने इसको बहुत समझ बूझ कर बनाया है। मैंने कब कहा कि उन्होंने संविधान को समझ बूझ कर नहीं बनाया। मैंने कहा कि उस में, उस सभा में एक से बढ़ कर एक धुरंधर लोग थे, लेकिन अपने नौजवान साथी से मैं कहना चाहता हूं कि जब डा० अम्बेडकर ने संविधान को पूरा बना कर व्यक्ति सम्राट पं० जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा। तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने क्या कहा जा कर रिसर्च कर के आप देख लो। पंडित जी तो ओवर आल सब के हेड थे। पंडित जी के सामने जब वह संविधान आया तो उन्होंने कहा क्या ? रिमार्क क्या किया ? हो सकता है कि मैं गलत होऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह क्या महाभारत लिख कर ले आये हो। पोथा बना कर ले आये हो। संविधान होना चाहिए एक गुटिका के रूप में। वह छोटा सा हो, सारगर्भित हो।

SHRI LAXMI NARAIN (Delhi): On a point of order. I am very sorry to say that the senior-most Members have no rgard for our former Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru, I know very well, he cannot use such words:

"क्या पोथा बना कर ले आये हो।"

I feel it is a disgrace to our first Prime Minister, and I request that these words may be expunged from the records. (*Interruptions*)

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: That is why I say that young men should be... (*Interruptions*)

श्री लक्ष्मी नारायण : मुझे बड़ी उम्मीद थी जब मैंने 21 नवम्बर को यहां हलफ लिया है, लेकिन यहां आ कर पता चला कि बहुत पुराने मेम्बर भी बड़ी बेतुकी बातें करते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। (**व्यवधान**) उन के बोलने का यह क्या तरीका है।

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not think I have got the right to expunge something unless it is unparliamentary But, I hope that hon. Members, while they make reference to the debates of the Constituent Assembly or regarding the framing of the Constitution, take responsibility for the statements they make. Therefore, I leave it at that. I have nothing to say about such remarks. But I will request Members that while they make references to our past leaders as well as to the proceedings of the Constituent Assembly or about the formation of the Constitution, sufficient care and responsibility is taken for the speeches.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): He has attributed certain remarks to Pt. Jawaharlal Nehru. He said—correct me if I am wrong: "मुझे आप बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा होऊं।" तो मैं उन को बता रहा हूं कि वह गलत कह रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That has gone on record. What he has said and what you said has gone on record. (*Interruptions*)

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: The youth must take over. (*Interruptions*)

श्री पी० एन० सुकुल : श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन की जो प्रति यहां पर रखी है वह बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी है,

[श्री० पी० एन० सुकुल]

गुटका ही है । आप उसको पोथा कैसे कह रहे हैं । आप कह सकते हैं पोथा, पंडित जी ने उसको पोथा नहीं कहा । यह कांस्टीट्यूशन क्या आपको पोथा नजर आता है ? . . . (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not want to say anything. But I know that Panditji was deeply involved in the entire proceedings of the Constituent Assembly and he took great care on every article. Therefore, he knew what type of Constitution and what volume of the Constitution was there. I do not want to comment on this.

श्री हयातुल्ला अन्सारी (नामनिर्देशित): जनाब, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अम्बेडकर जी कांस्टीट्यूशन लाये हों एकदम से जवाहरलाल जी के सामने । बल्कि बराबर उस पर डिस्कशन होता रहा । एक दफा काश्मीर में शेख अब्दुल्ला का फंक्शन हो रहा था तो जवाहरलाल जी के साथ मैं भी गया था, खाने में भी मैं शामिल था । वहां बैठकर एक घंटा बात की कि राइट्स क्या होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के । तो डिस्कशन होता था । यह कभी नहीं होता था कि पूरा पोथा एक साथ लिख दिया गया . . . (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Do I look like a lady? I do not know.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि यह पोथा नहीं है । जो सुकुल जी ने दिखलाया वह मेरे पास भी है, यही है गुटका जो है । सबने कहा कि पंडित जी को डिसरिस्पैक्ट दी जा रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है । कैसे समझ लिया इन लोगों ने ? ये हिन्दी समझते हैं कि नहीं, पता नहीं हमको । झट से चौंके, मैंने कहा कि पंडित जी ने कहा पोथा तो समझ लिया कि डिसरिस्पैक्ट हो गई । पंडित जी का दृष्टिकोण बड़ा था । गीता छोटी-सी किताब है, सारगर्भित है, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति की तमाम चीजें उसमें बहुत शानदार ढंग से रखी गई हैं; थीसिस है, एक समन्वय है उनका । आप कोई चीज पढ़े, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें सांगोपांग भारतीय दर्शन की सब चीजें आ जाती हैं । वह लिखने की एक कला है, प्रेजेन्टेशन है जिसमें सब कुछ है । जिसने गीता कागज पर उतारी, उसने यह बात रखी कि जिस तरह से छोटे से छोटे शब्दों में सारगर्भित चीजें होती हैं, ऐसा होना चाहिए । पंडित जवाहरलाल ने संविधान पढ़ा, राजेन्द्र प्रसाद ने पढ़ा, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण व्यापक था वह यह था कि दुनिया में जो संविधान थे, जिनमें छोटे में लिखा हुआ है, वे ज्यादा सारगर्भित हैं । वे लोग झट से उठ गये जैसे पंडित जी गिर रहे हों, उनकी रक्षा करने के लिए उठ गये, जैसे पंडित जी को मैं इतिहास में गिरा रहा हूं, जैसे पंडित जी मेरे कहने पर गिर गये ।. . .

श्री लक्ष्मी नारायण*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): This will not go on record.

श्री शिव चन्द्र झा : जो संविधान में है क्या उसको हम कभी नहीं बदलेंगे ? कभी उसमें संशोधन नहीं करेंगे ? अभी भी संविधान में संशोधन होते हैं, अब तक कितने संशोधन हुए हैं । क्यों हुए हैं ? इस पर जरा सोचा जाए । जो

*Not recorded.

परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, जो समय का तकाजा था, जिस रूप में संविधान लिखा गया, परिस्थितियों के मुताबिक संविधान को बदला गया कितनी ही दफा। 43, 44, 45 दफा कितनी दफा यह बदला गया। क्यों बदला गया? समय का तकाजा था। यह कहना कि संविधान को हम नहीं बदलेंगे, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, यह संविधान सभा के इरादे के खिलाफ है। यह खुद बदल गया है। इस संबंध में सब लोग जानते हैं कि इसमें और भी बदलने की जरूरत है। यदि इसकी स्प्रिट को कायम रखना चाहते हैं तो इसमें और परिवर्तन की जरूरत है। इसके मुताबिक दो-तीन संशोधन मैंने रखे, जैसे राइट टु वर्क। इस तरह का विधेयक मने पेश किया। समय का तकाजा है इसमें परिवर्तन किया जाए। मैंने यह भी रखा था कि राइट टु स्ट्राइक। इसमें भी संशोधन की जरूरत है। ताकि जो समय का तकाजा है उसके मुताबिक संविधान में परिवर्तन हो। कहां संविधान कहता है कि इसमें संशोधन न हो। यह कहां लिखा है कि यदि हमने संशोधन किया तो पंडित जी की डिसरिस्पेक्ट हो जायेगी। यह हमारा सोचना बहुत गलत है। अनसाइंटिफिक है। यह बात पंडित जी को ज्यादा हेमर करती थी। मैं आपको, नौजवानों को कहना चाहता हूं कि पंडित जी एक मन्दिर में गये। पूजा की किताब, शायद रामायण थी या और कोई किताब थी, जो वहां पर रखी थी। पुजारी उसकी पूजा कर रहा था। पंडित जी कहते हैं कि ...

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH): Sir, will you please stop him from making those remarks?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I cannot stop him.

श्री शिव चन्द्र झा : वह पूजा कर रहा था तो पंडित जी ने पूछा यह क्या कर रहे हो। उसने कहा—रामायण की किताब की पूजा कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा इस किताब की पूजा करते हो। पंडित जी ने उस किताब को उठा कर उसके मुंह पर मारा। कहा कि किताब पढ़ने के लिये है, पूजा करने के लिये नहीं है। इस किताब में जो चीजें लिखी हैं उसको पढ़ो और समझो। उसके मुताबिक कुछ करने की जरूरत है। पूजा के लिए किताब नहीं है। यह पंडित जी का दृष्टिकोण था। जिसका इतना विशाल, साइंटिफिक दृष्टिकोण हो उनके बारे में आप यह समझते हो ...

श्री हयातुल्ला अंसारी : हो सकता है यह उनका विचार हो। लेकिन ऐसी बात कहना उनके लिए ठीक नहीं है कि किताब उठाकर उसके मुंह पर मारी।

श्री शिव चन्द्र झा : जो साइंटिफिक दृष्टिकोण था वह मैंने बताया। यदि संविधान के अन्दर, समय के मुताबिक परिवर्तन की जरूरत हो तो उस में हमें परिवर्तन करना चाहिए। संशोधन हुए हैं। दूसरी बात मैं यह रखना चाहता हूं कि आपने रिटायरमेंट एज, सरकारी मुलाजिम की 60 से 58 कर दी है। क्यों? नौजवानों को सामने रख कर यह आपने किया। आप चाहते हैं कि नौजवान आगे आएं।

श्री पी० एन० सुकुल : 55 से 58 की है। आपने कहा घटाई है। घटाई नहीं है तीन साल बढ़ाई है।

श्री शिव चन्द्र झा : यह तो उल्टा ही समझ रहे हैं। दो साल घटाई है।

श्री पी० एन० सुकुल : 55 से बढ़ा कर 58 की है। आपके नेता एन० टी० रामाराव

[श्री पी० एन० सुकुल]

ने अपने मुलाजिमों की उम्र 58 से 55 की है। उन्होंने घटाई है।

श्री शिव चन्द्र झा : नौजवानों का जो तकाजा है उनको आपने मौका दिया है रिटायरमेंट एज घटा कर। ताकि वे आगे आएं और काम कर सकें। यह बहुत अच्छी बात है। नौजवान लोग काम करने के लिए हैं इन पुराने लोगों की उम्र हो गई। इनको हटाया और उनको मौका दिया। इसका जवाब आपने दिया नहीं। आपको सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि वोटिंग एज 21 साल क्यों हैं, लोकसभा में जाने की उम्र 25 साल क्यों है और राज्य सभा में जाने की उम्र 30 साल क्यों है ? और राष्ट्रपति और गवर्नर होने की उम्र 35 साल रखी गई है। इस प्रकार से ये स्टेजज रखी गई हैं। इसका क्या एसोसिएशन है ? आपने कहा कि इसमें मैच्योरिटी की बात आती है। मैंने सारी दुनिया का इतिहास आपको बताया। किस तरह से कम उम्र में आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने बड़े बड़े काम किये थे। आपने सवाल उठाया कि ये लोग सरकार चलाने वाले नहीं थे, शासन चलाने वाले नहीं थे। ये दिमाग या दर्शन के लोग थे। श्री भट् साहब ने मुहम्मद साहब की बात कही। ये बातें सब निर्विवाद हैं ... (व्यवधान)। यह बात निर्विवाद हैं कि मुहमम्द साहब ने मजहब चलाया और उसके साथ-साथ शासन की बागडौर भी अपने हाथ में रखी। दुनिया के इतिहास में वे पहले प्रौफेट थे। जिन्होंने वाणी से तो उपदेश दिये और शासन की बागडौर भी संभाली। दुनिया के इतिहास में सब से पहले उन्होंने रिटन कांस्टिट्यूशन बनाया। कुरान के जरिए से सरकार और नागरिकों के कर्त्तव्य निश्चित कर दिये। एक नागरिक का क्या कर्त्तव्य है और सरकार का क्या कर्त्तव्य है, यह सब उन्होंने कुरान में लिख दिया। सरकार कितनी दूर तक जा सकती है, नागरिक कितनी दूर तक जा सकता है, इस सब को उन्होंने रिटन कांस्टीट्यूशन में रख दिया। मुहम्मद साहब ने साबित कर दिया कि कम उम्र में भी शासन चलाया जा सकता है। वे सिर्फ विचारक ही नहीं थे, उन्होंने हुकूमत भी चलाई। उनके उदाहरण से मेरी बात की पुष्टि होती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने वैज्ञानिक तरीके से इस बात का जवाब नहीं दिया कि 21, 25, 30 और 35 साल की जो उम्र रखी गई है, इसका क्या कारण है ? उन्होंने कहा कि यह उम्र सोच-समझ कर रखी गई है और इसमें मेच्योरिटी की बात आती है। यह ठीक ही कहा गया है कि 25 साल की उम्र में अगर कोई लोक सभा का सदस्य चुन लिया जाता है और सदन का नेता चुन लिया जाता है तो वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर कोई 25 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो 30 साल में राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्र के सिम्बल का प्रतीक है। आप जानते हैं कि दुनिया में हमारा ही देश ऐसा है जहां महिलाओं को आजाद होते ही समान अधिकार दिये गये हैं। अमेरिका में भी 1918 और 1920 से पहले महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं थे। इंग्लैंड में भी वे अधिकार बहुत बाद में दिये गये। स्विटजरलैंड, जिसको जनतंत्र का एक क्लासिकल उदाहरण माना जाता है, वहां पर भी महिलाओं को बहुत बाद में वोट देने के अधिकार दिये गये। कुछ साल पहले महिलाओं को वहां पर वोट देने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि हमारे यहां वैशाली जैसे जनतंत्र के उदाहरण बहुत हैं, लेकिन हमारे देश

में आजादी के साथ ही महिलाओं को समान अधिकार दिये गये । समाज को चलाने में सभी अंगों का सहयोग होता है । जैसा मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, स्विटजरलैंड आदि अनेक देशों का उदाहरण दिया, वहां पर महिलाओं को बहुत देर में समान अधिकार दिये गये । जिस प्रकार से इस क्षेत्र में हमने पहल की है, इस क्षेत्र में भी हम पहल कर सकते हैं । आयरलैंड की बात भी आई हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : आयरलैंड कहां है ?

श्री शिव चन्द्र झा : वेस्ट जर्मनी में 40 साल की उम्र है । लेकिन यहां पर हमारे संविधान बनाने वालों ने उसको 35 साल रखा । तो अगर 35 साल की उम्र न्यूनतम हो सकती है तो वह 30 साल भी हो सकती है । इसलिये हमारे संविधान के दर्शन, हमारे संविधान निर्माताओं के आदर्श और स्वप्नों के मुताबिक हमारी संस्कृति और कल्चर के मुताबिक लाजिमी हो जाता है कि इसमें हम एक बार फिर परिवर्तन करें । मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा कि नौजवानों को शिकायत है, एकानामिक और दूसरे कारणों से । लेकिन मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि नौजवानों को इस बात पर भी हैरानी है कि राष्ट्रपति के लिये यह जो उम्र है, खर्च वगैरह की बात मैं नहीं जानता हूं वह अलग बात है कि कितना खर्चा किया जाता है लेकिन . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गौस्वामी) : आप समाप्त कीजिये ।

श्री शिव चन्द्र झा : लेकिन उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिये । इसके लिये आपको उनके लिये फाटक खोलना है । मंत्री जी ने जिन बातों का जवाब दिया वे संतोषजनक नहीं हैं, साइंटिफिक नहीं हैं, पिटी पिटाई बातें हैं । आप अपना पूर्व मत बनाकर, प्रिस्टिज इश्यू बनाकर कि हम इसको मानेंगे ही नहीं, हमें इसको मंजूर नहीं करना है, चलते हैं । इस तरह से मत बनाकर चलना ठीक नहीं है । लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद । आपने जो जवाब दिया उससे आपने कुछ चिंतन कर लिया हो गा, साइन्टिफिकली कि हम इसमें विश्वास करते हैं । अगर यह इतना कम्प्लीकेटेड है तो आप इसको सर्कुलेट कर लीजिये । अगर आप ऐसा करते हैं तो कौन सा आसमान गिरता है या पृथ्वी उलटती है । आप जनता का मत लेने के लिये इसको सर्कुलेट कर लीजिये, कश्मीर से कन्याकुमारी और ओखा से मनीपुर तक आप इस बिल को घूमने दीजिये । जनता का मत जानने की कोशिश कीजिये । बाद में अगर सरकार चाहे तो मंजूर करे और न चाहे तो न करे । लेकिन उनका मत जानने के लिये, रेफरेंडम जिसको कहते हैं, उसके लिये आप भेज दें । सरकार बहुत सी कमेटियां बनाती है किसी विषय की जांच के लिये । वह कमेटियां अपनी रिपोर्ट देती हैं । उन रिपोर्टों को सरकार मानती भी है और नहीं भी मानती है और बहुत सी कमेटियों की रिपोर्टें पड़ी रहती हैं । लेकिन इससे एक विचार तो आ जाता है । अगर आप इसको घुमायेंगे तो इसके मुत्तल्लिक सारे देश से विचार आप के पास आयेंगे और आपको मालूम होगा कि देश की जनता क्या चाहती है, भारत की जनता क्या कह रही है, नौजवान क्या कह रहे हैं कि यह होना चाहिये या नहीं होना चाहिये । इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी रुकावट की भी बात नहीं है । इसलिये आप इसको करें । उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा कहना है कि इस विधेयक को आप सर्कुलेट कर इसको भेज दें और इस को आप प्रेस्टिज इश्यू न बनायें । जो मत आयेंगे उसके मुताबिक आप करेंगे तो इसके

[श्री शिव चन्द्र झा]

द्वारा आप नौजवानों की ही नहीं बल्कि संविधान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे, इतना ही मुझे इस पर कहना है।

SHRI LAL K. ADVANI: What is the fate of this Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I don't think the Bill will continue next time.

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (AMENDMENT) BILL, 1983.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Bill for introduction.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Monopolies and restrictive Trade Practices Act, 1969 and the Companies Act, 1956.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): There are two notices of objection. Dr. Adiseshiah.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): Sir, I am not opposed to the introduction. I want to call your attention and through you, the attention of the Government, the Ministry. ....that I received a copy of this very important Bill in the mail this morning at 10.30 A.M. I had to come to Parliament. I had to spend some time in reading this Bill. I tried to take two hours to read this Bill. Before I say whether I agree or not agree to this formal act of introduction, at least, Members of Parliament should have the opportunity of reading the Bill. I must say to you, Mr. Vice-Chairman, that with great difficulty I managed to read the Bill through, though it needs a kind of analysis which will take two or three days. Of course for introduction, this kind of analysis is not required. But analysis is done when we come to discussing this Bil I must say to the hon. Minister that I, for myself, was in great difficulty in understanding the provisions of the Bill because I had to force myself to find time for two hours to read through the Bill. This I would like to bring to your notice and through you, to the notice of the House and the Government.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना नोटिस दिया है कि मैं इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध करता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो आपका बिल है इसमें फाइनेंशियल मेमोरेंडम इनऐडीक्वेट है जो कि संविधान की रिक्वायरमेंट है कि होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिस उद्देश्य से यह बना रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति आपको नहीं हो सकती है। तकाजा है कि इस विधेयक द्वारा जिसको कहते हैं टिंकरिंग करने का काम आप कर रहे हैं। मोनोपली हाऊसेज को कंट्रोल करने के लिये 1893 में शर्मन एक्ट अमरीका में बना। आप देखें लीजिये अमरीका में मोनोपली हाउसेज कितने बढ़े हैं, कार्टेल्ज कितने बढ़े हैं। उनका एक साम्राज्यवाद खड़ा हो गया है। जितने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट बनते हैं यह सुरसा की तरह से बढ़ते जा रहे हैं टाटा, बिड़ला और मोनोपली हाऊसेज। इसी लिये आपको इसे इस रूप में न लाकर के हकीकत में मोनोपली हाउसेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो तकाजा यह था कि आप उनका राष्ट्रीयकरण करने का विधेयक लाते और उसमें यदि कोई क्लाज होता तो ज्यादा मीनिंगफुल होता। फाइनेंशियल मेमोरेंडम जो कि संविधान की रिक्वायरमेंट है सफिशियेंट न होने के कारण मैं इसका इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध करता हूं।

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Sir, so far the first objection is concerned, that the hon. Member found it to be inconvenient. I am sorry for the delay in the circulation of the Bill and we will be more careful in future.